वर्ष : 17 अंक : 3 सितंबर-दिसंबर, 2012

उन्नति

विचार

आपदा प्रबंधन की गुणवत्ता और जवाबदेही

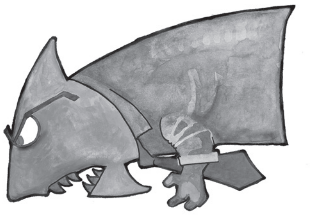

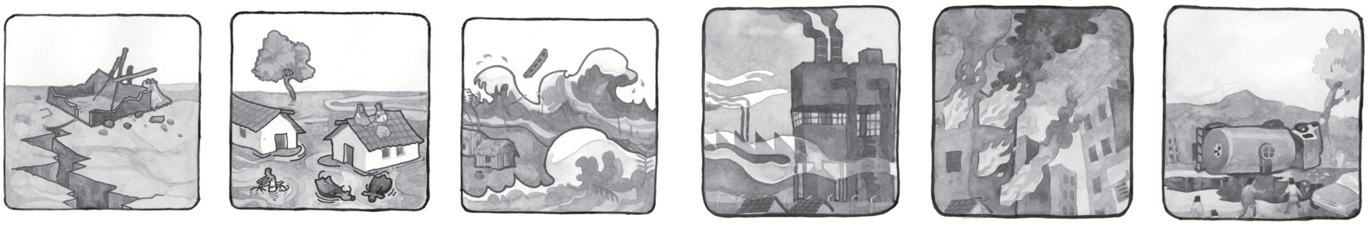

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।

अनुक्रम

संपादकीय	**3**
विकास विचार	
आपदा प्रबंधन की गुणवत्ता और जवाबदेही	**4**
नज़रिया	
गरीबों के लिए नकद भुगतान की योजना	**13**
खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	**19**
आपके लिए	
वादा नहीं तोड़ें अभियानः नया विकासात्मक एजेंडा	**24**
एकता की अर्थव्यवस्था	**26**
अपनी बात	
दिल्ली में गरीबों को नकद राशि देने के प्रयोग का अध्ययन	**28**
संदर्भ सामग्री	**23**

गरीब परिवारों को नकदी सहायताः एक स्वागत योग्य प्रयोग

भारत सरकार ने जनवरी, २०१३ से नकद हस्तांतरण योजना शुरू की है। गरीब परिवारों को रियायती दर पर विभिन्न उत्पादों या सेवाओं को प्रदान करने के बजाय नकद राशि प्रदान करने की योजना २० जिलों में शुरू की गई है और मार्च से इसे ४३ जिलों में लागू किया जाएगा। भारत सरकार का इरादा इस योजना को २०१४ तक सभी जिलों में गरीब परिवारों के लिए लागू करने का है। इन योजनाओं का अमल दुनिया के कई देशों में बहुत अच्छी तरह से हुआ है, और इसके परिणाम अच्छे रहे हैं। इसलिए, भारत सरकार गरीबों को नकद भुगतान सहायता देने के लिए प्रोत्साहित हुई है। भारत सरकार इस परियोजना को बहुत महत्वपूर्ण मानती है क्योंकि यह कई योजनाओं का आर्थिक पर्याय बन सकती है।

गरीबों की सहायता करने वाली सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित विभिन्न योजनाओं में व्यापक देरी, भ्रष्टाचार और उच्च प्रशासनिक लागत की समस्याओं के विकल्प के रूप में इस योजना का कार्यान्वयन शुरू किया गया है। वर्तमान में पेंशन, छात्रवृत्ति, और इस प्रकार की योजनाओं में गरीब परिवारों को नकद राशि दी ही जाती है। इस संदर्भ में यह योजना कोई पूरी तरह से नई नहीं है। लेकिन गेहूं - चावल - केरोसीन जैसी चीजों या शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं के बजाय नकद राशि देने के लिए इस योजना लागू किया जा रहा है वह एक नई बात है।

इस योजना की शर्त यह है कि जिन गरीब परिवारों के पास आधार कार्ड होगा उन्हें ही इस योजना के तहत लाभ प्राप्त होगा, इससे इसमें काफी भ्रम उत्पन्न हुआ है। सभी गरीब परिवारों को आधार कार्ड नहीं मिला है जो एक समस्या है। इस योजना की सफलता कार्ड की सार्वभौमिकता की पूर्वशर्त पर निर्भर है। इसके अलावा, गरीब परिवारों के बैंक खाते में नकद राशि जमा कराने के लिए बैंकों की शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिए और इस तरह वित्तीय समावेश की स्थिति का निर्माण होना एक दूसरी महत्वपूर्ण पूर्व शर्त है।

ऐसी आशंका व्यक्त की गई हैं कि गरीब परिवारों को नकदी मिलने से उसका दुरुपयोग, विशेष रूप से परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा किया जाएगा, लेकिन दिल्ली के रघुवीरनगर क्षेत्र के गरीब परिवारों में एक साल तक दिल्ली सरकार और सेवा दिल्ली द्वारा कराए गए प्रयोगों में इसका कोई सबूत नहीं पाया गया है। हालांकि, राजस्थान के अलवर जिले के कोटकासिम ब्लॉक में सरकार द्वारा किये गए प्रयोगों के अच्छे परिणाम नहीं आने की भी रिपोर्टें हैं। इसलिए इस योजना में सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत है। विशेष रूप से अनाज के बजाय नकद राशि के भुगतान में वास्तव में काफी सावधानी बरतने की जरूरत है।

जिन प्रयोजनों के लिए देश के गरीब परिवारों को नकद राशि दी जाएगी उसे उन्हीं उद्देश्यों के लिए खर्च किया जाएगा, यह सुनिश्चित करना और अधिक मुश्किल कार्य है। लेकिन परिवार की महिलाओं की भागीदारी और योजना के उद्देश्य के बारे में परिवार के सभी वयस्क सदस्यों की समग्र शिक्षा और प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण रचनात्मक भूमिका निभा सकती है। गरीब परिवारों में पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर को ऊपर उठाने वाली कई योजनाओं में करोड़ों रुपए खर्च किये जाते हैं लेकिन इच्छित व तेज परिणाम नहीं मिलते। इसलिए वैकल्पिक रूप से प्रायोजित यह योजना गरीबों को व्यापक बाजार में एक विकल्प प्रदान करती है और बाजार में अपनी क्रय शक्ति द्वारा सक्रिय रूप से जुड़ने की उनकी क्षमता में प्रभावशाली योगदान करती है। इससे सशक्तिकरण के उद्देश्य के पूरा होने की उम्मीद बढ़ती है। भारत में गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सुधार, रोजगार सृजन और शिक्षा के स्तर को उठाने के कई प्रयास आधे-अधूरे सफल रहे हैं तब यह प्रयोग स्वागत योग्य तो है ही।

आपदा प्रबंधन की गुणवत्ता और जवाबदेही

यह लेख **श्री मयंक जोशी** द्वारा तैयार किया गया है। वे तीन दशकों से विकास के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संगठनों के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में विभिन्न संगठनों के साथ काम किया है। वे इंटर एजेंसी समूह (आइ.ए.जी.) गुजरात के सक्रिय सदस्य हैं। वे गुणवत्ता और जिम्मेदारी से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में योगदान देते हैं।

प्रस्तावना

विश्व स्तर पर, आपदाओं की संख्या बढ़ रही है, और उससे होने वाले हताहतों की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे जनहानि, अचल संपत्ति, अन्य संपत्ति को नुकसान होता है, और जीवन का नुकसान होता है, जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है, विकास प्रक्रिया रुक जाती है।

प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से पीड़ित समुदाय के लिए काम करने वाले कई संगठन सक्रिय हैं। कुछ इस तरह का काम ही करते हैं तो अन्य संगठन जरूरत पड़ने पर यह काम करते हैं। वर्षों के कार्य के अनुभव के आधार पर आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। वित्तीय सहायता प्रदाता संस्थाओं, तकनीकी मार्गदर्शन और क्षमता वृद्धि संस्थाओं के लिए कार्यरत संस्थाओं का विकास हुआ है। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर के संगठनों का भी नेटवर्क बन गया है।

आपदा प्रबंधन में काम करने वाले संगठन और कार्यकर्ता जो परिणाम लाते हैं उनमें गुणवत्ता और जवाबदेही के बारे में काफी समय से बहस हो रही है और उसमें सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं।

इस लेख में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में गुणवत्ता और जवाबदेही से संबंधित ढांचे - वैचारिक संरचनाओं से संबंधित जानकारी दी गई है। इसमें ह्यूमेनिटेरियन एकाउन्टेबिलीटी पार्टनरशिप इंटरनेशनल (HAP-I), ऐक्टिव लर्निंग नेटवर्क फॉर एकाउन्टेबिलीटी एन्ड पर्फोर्मेन्स (ANLAP), एक्ट एलायंस, पीपल इन ऐड और स्फीयर परियोजना को शामिल किया गया है।

आपदा प्रबंधन में गुणवत्ता और जवाबदेही

"पैसा देते हैं तो सेवा मिलनी ही चाहिए?"
"पैसा पूरा लेते हैं लेकिन सेवा सही नहीं है।"
"सरकार और संस्थाएं पैसे का तो काफी उपयोग करती हैं, लेकिन लोगों तक नहीं पहुँचता तथा लोगों को लाभ नहीं होता।"

ऊपर के बयान अक्सर आम जनता, शासकीय व्यवस्था के अधिकारियों, पदाधिकारियों और अन्य हिताधिकारियों की चर्चा के दौरान भी सुने जाते हैं।

विभिन्न दृष्टिकोण

आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने वाले और मानवीय सोच का अनुसरण करने वालों के लिए इस बात की चिंता है कि

- जिसके लिए (यानी कि पीड़ित जनता) हम काम करते हैं उनके प्रति जवाबदेही (एकाउन्टेबिलीटी) देखने को मिलती है?
- पीड़ित जनता को दी जाने वाली राहत और सुविधाएं गुणवत्ता वाली हैं या नहीं?

गुणवत्ता और जवाबदेही के बारे में चिंताएं पिछले अनुभव के आधार पर हैं क्योंकि भूतकाल में पीड़ितों की सहायता के लिए किए गए कामों के आकलन के दौरान गुणवत्ता और जवाबदेही के बारे में त्रुटियां देखने को मिली थी।

- रवांडा में हुए जातीय दंगों की प्रतिक्रिया से प्रेरित मानवीय

संगठनों द्वारा किए गए कामों के मूल्यांकन के दौरान त्रुटियां देखने को मिली थी। (Joint Evaluation of Emergency Assitance to Rwanda - JEEAR - 1994)

- सुनामी (दिसम्बर -2004) के बाद किए कार्य के मूल्यांकन के दौरान कमियां देखने को मिली थी। (The Tsunami Evaluation Coalition - TEC)

रवांडा में हुए कार्य के मूल्यांकन रिपोर्ट में दो सिफारिशें की गई हैं
1. संगठन आचार संहिता और मानकों को ध्यान में रखकर कार्य करें, इसके लिए नेटवर्क के द्वारा उनकी निगरानी करना।
2. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता के लिए व्यवस्था करना।

ऊपर सूचीबद्ध दो घटनाओं के अलावा अन्य आपदा प्रतिक्रिया के दौरान इस प्रकार के अनुभव मूल्यांकन रिपोर्ट और अन्य साहित्य में देखने को मिलते हैं।

उपरोक्त सिफारिशों और अन्य प्रयासों के परिणामस्वरूप, आपदा प्रबंधन के कार्यों में गुणवत्ता और जवाबदेही के मुद्दे पर ध्यान देने की शुरूआत हुई और इसके बारे में कई संगठनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है। 1996 में ऐक्टिव लर्निंग नेटवर्क फॉर एकाउन्टेबिलीटी एन्ड पर्फोर्मेन्स (ANLAP) की शुरूआत हुई। 1997 में स्फीयर परियोजना की शुरूआत हुई। 2003 में ह्यूमेनिटेरियन एकाउन्टेबिलीटी पार्टनरशिप इंटरनेशनल (HAP-I) की शुरूआत हुई। कई संगठनों द्वारा आपदा से संबंधित कार्यों की योजना बनाने में, कार्यान्वयन और मूल्यांकन में गुणवत्ता और जवाबदेही के पहलुओं को एकीकृत करना शुरू किया। इसके लिए श्रमिकों की क्षमता वृद्धि में भी इस मुद्दे में शामिल किया गया है।

गुणवत्ता और जवाबदेही से संबंधित मुख्य अवधारणाओं की तरह ही कार्यों के लिए ढांचे में से कुछ विवरण यहां दिया गया है:

(1) स्फीयर परियोजना

स्फीयर परियोजना की नींव दो महत्वपूर्ण मान्यताएं है:

1. आपदा और दंगे से होने वाली मानव यातना को यथा संभव कम करने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए।

2. पीड़ितों को अपना जीवन सम्मान से जीने का अधिकार है, और इसलिए मदद पाना उनका अधिकार है।

स्फीयर परियोजना का काम 1997 में कई गैर सरकारी मानवीय संगठनों, रेडक्रॉस और रेड क्रेसेन्ट आंदोलन जैसी संस्थाओं के समूह द्वारा शुरू हुआ। इन संगठनों ने मानवीय अधिकार पत्र तैयार कर दिया और आपदा के दौरान सहायता के लिए न्यूनतम मानकों का निर्धारण किया। जिन कार्यक्षेत्रों के लिए न्यूनतम मानकों का निर्धारण किया उनमें पेयजल और स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा और पोषण, आवास और स्वास्थ्य शामिल हैं। न्यूनतम मानकों के साथ उसके निर्देशकों का भी उल्लेख किया गया है।

पानी के वितरण और आवास से संबंधित गुणवत्ता के मार्गदर्शन के लिए जिन मानकों और संकेतकों को स्फीयर हैंडबुक में दिया गया है उनमें से उदाहरण के रूप में एक मानक और संबंधित निर्देशक का विवरण नीचे दिया गया है:

जल वितरण का मानक

आपदा से पीड़ित सभी लोगों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पीने, खाना पकाने, व्यक्तिगत स्वच्छता और पर्यावरण स्वच्छता के लिए पानी की व्यवस्था करना। जल वितरण की जगह निवास के करीब होनी चाहिए ताकि पानी की न्यूनतम आवश्यकता पूरी करने के लिए उपयोगी हो सके।

जल वितरण के लिए महत्वपूर्ण संकेतक

- पीने, खाना पकाने और व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए 15 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन पानी की व्यवस्था करना।
- जल वितरण की सुविधा आवासीय स्थान से अधिकतम 500 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए।
- पानी भरने के लिए कतार में खड़े रहने का समय 30 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए।

आवास के मानक

लोगों को रहने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो ताकि ऊष्मा और ताजा हवा मिले, मौसम से सुरक्षा मिले, एकांत, सुरक्षा और स्वास्थ्य बना रहे, पारिवारिक और व्यावसायिक गतिविधियों को आसानी से किया जा सके।

मुख्य आवास संकेतक

- हर पीड़ित व्यक्ति के लिए 3.5 मीटर स्थान उपलब्ध हो
- आवास के लिए व्यवस्था सामग्री तकनीकी मानकों के अनुसार हो और सांस्कृतिक रूप से लोगों को स्वीकार्य हो।

स्फीयर परियोजना की पुस्तिका को पहली बार 2000 में प्रकाशित किया गया था। फिर 2004 और 2011 में इसके संशोधित संस्करणों का प्रकाशन किया गया है।

स्फीयर परियोजना द्वारा विभिन्न देशों में आपदा के समय किए जाने वाले कार्यों में गुणवत्ता और जवाबदेही के पहलुओं को शामिल करने की प्रक्रिया का समर्थन किया गया है। स्फीयर परियोजना भारत द्वारा भारत में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य शुरू किया गया है।

गुणवत्ता और जवाबदेही के बारे में काम करने वाले अन्य संगठनों और उनके नेटवर्क के द्वारा स्फीयर परियोजना में विकसित न्यूनतम मानकों को स्वीकृति और मान्यता दी गई है।

(2) ह्यूमेनिटेरियन एकाउन्टेबिलीटी पार्टनरशिप इंटरनेशनल (HAP-I)

आपदा प्रबंधन कार्यों में शामिल संगठन मुख्य रूप से मानवीय दृष्टिकोण से कार्य करते हैं। इसलिए मानवीय मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण है। हेप इंटरनेशनल द्वारा जवाबदेही से संबंधित सिद्धांत इस प्रकार प्रस्तुत किए गए हैं:

1. **मानवीय मानकों और अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धताः** आपदा से पीड़ित लोगों के लिए काम करने वाले संगठनों से यह उम्मीद है कि वे मानवीय मानकों और मानव अधिकारों को बुनियादी बात के रूप में स्वीकार करें।

2. **मानक तय करना और क्षमता बढ़ानाः** हितधारकों (लाभार्थियों सहित) के प्रति जवाबदेही के लिए रूपरेखा का विकास, इंटरैक्टिव, कार्य करने के मापदंड निर्धारित करके उनकी आवधिक समीक्षा, मानकों का उपयोग, कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण।

3. **प्रत्यायनः** हितधारकों (विशेष रूप से लाभार्थियों और श्रमिकों) के कार्य के मानकों, कार्यक्रम (गतिविधियों) और संघर्ष की रोकथाम की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी जाती है।

4. **कार्यक्रम में सहभागिताः** पीड़ित समुदाय (या उनके प्रतिनिधि), नियोजन, क्रियान्वयन निगरानी और मूल्यांकन के काम में सहभागी बनने की व्यवस्था करना, काम के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। काम में गंभीर रूप से बाधक परिस्थितियों को छोड़कर इन बातों को लागू करने की उम्मीद की जाती है।

5. **मानकों के अनुपालन की निगरानी और रिपोर्टः** मानकों और प्रक्रियाओं से संबंधित देखरेख के दौरान लाभार्थियों और कार्यकर्ताओं (स्टाफ) को शामिल करना, समय-समय पर कार्य के मानकों की निगरानी, मानकों की प्रतिबद्धता के बारे में कम से कम वार्षिक रिपोर्ट (लिखित, मौखिक या अन्य रूप हो सकता हो सकता है)।

6. **शिकायतों का निपटाराः** लाभार्थियों और कार्यकर्ताओं को शिकायत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और शिकायतों का हल निकाला जाना चाहिए।

7. **कार्यान्वयन करने वाले संगठनः** कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अन्य संगठनों द्वारा काम किया जाना हो तो कार्यान्वयन करने वाले संगठनों को उपरोक्त सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

HAP द्वारा मानवीय सिद्धांतों के लिए जिम्मेदारी को साकार करने की कोशिश में उसके महत्वपूर्ण पहलुओं और कार्य संरचना का विकास किया गया है जिसका विवरण नीचे संक्षेप में दिया गया है:

(ए) प्रमुख पहलू

1. संदर्भ को ध्यान में रखें

आपदा प्रतिक्रिया संचालन में शामिल संग नों और उसके कार्यकर्ताओं को स्थानीय संदर्भ को समझना आवश्यक है। इस संदर्भ में, निम्न मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है:

- विभिन्न हितधारकों की जबावदेही और क्षमता के अनुसार उनका सहयोग लेना, उनके साथ समन्वय करना।
- स्थानीय राजनीतिक या सैन्य शासन द्वारा मानवीय सिद्धांतों का हनन हो सकता है।
- काम करने के लिए जरूरी पैसे की कमी हो सकती है। किसी काम या गतिविधि के लिए आवश्यकता से अधिक वित्तीय सहायता मिले और अन्य कार्यों के लिए मदद मिलने में देरी हो।
- काम कर रहे संगठनों के लक्ष्यों और उद्देश्यों को समझने की आवश्यकता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि संगठन अपने स्टाफ और स्वयंसेवकों के लिए कितना जिम्मेदार है।

2. सैद्धांतिक दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्धता

मानवीय संचालन में सैद्धांतिक दृष्टिकोण की ओर प्रतिबद्धता बुनियादी चीज है। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर करने वाले काम करने की क्षमता, सबकी जबावदेही और कार्यक्षेत्र के बारे में स्पष्टता होनी चाहिए।

मानवीय जबावदेही केवल वित्तीय लेनदेन और रिपोर्ट लेखन तक ही सीमित नहीं रहती। जबावदेही जिस परिस्थिति में सबसे कमजोर होती है उसके प्रति प्रतिबद्धता की अपेक्षा रखती है। इसके अलावा, मानवीय कार्य से संबंधित सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के बारे मं समझ और प्रतिबद्धता अनिवार्य बनाता है। इन परिस्थितियों सत्ता से संबंधित मानकों की समझ की आवश्यक होती है।

3. विचार कार्य के दौरान ध्यान में रखने वाली बातें

जबावदेही को साकार करने में संगठनात्मक और कार्यात्मक संरचना में निम्नलिखित बातों को शामिल करना आवश्यक है:

- संगठनात्मक संरचना में नए पहलुओं को शामिल करने के लिए नीति निर्माताओं की सहमति की आवश्यकता है। इसके अलावा, संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को जानकारी देने और जबावदेही तय करने के लिए प्रशिक्षण देने की जरूरत है।

- जबावदेही को संगठनात्मक संरचना को शामिल करने के बारे में अनुभवों के आधार पर सबसे अच्छा उदाहरण, निर्देश, आदि को तैयार करके उसका व्यापक प्रसार किया जा सकता है। संस्थागत स्तर पर इस काम को आगे बढ़ाने के लिए किसी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए।

मानवीय सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता और जबावदेही के मुद्दे को आपदा प्रबंधन के लिए कार्य में शामिल करने के लिए प्रयासों के अनुभव के दौरान इस बात की चर्चा जरूर होती है कि स्वअनुशासित अर्थात् विनियामक तंत्र पर्याप्त है या बाहरी संगठन को निगरानी सौंपने की आवश्यकता है। इन दोनों बातों को वैकल्पिक मानने के बजाय उनके संयोजन वाली व्यवस्था करना हितकारी होगा।

(बी) कार्य के लिए ढांचा

इस ढांचे को पांच विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है:

1. जवाबदेह कौन है?
   - मानवीय कार्यक्षेत्र के कार्यकर्ता जिन्हें परिचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
2. किसके प्रति जबावदेही?
   - पीड़ित व्यक्ति और समुदाय।
   - अन्य हितधारक।
3. किसलिए
   - मानदंडों और मानकों से संबंधित प्रतिबद्धता का पालन करने

के लिए।

4. कैसे
   - देखरेखः निगरानी, समीक्षा, मूल्यांकन।
   - प्रतिभाव।
   - जानकारी देना, सूचना प्रसार, रिपोर्ट लिखना।
   - उनकी पहचान करना जिनकी जिम्मेदारी पीड़ितों की यह मदद करना है।
   - स्वनियमन और स्वतंत्र प्रबंधन।
5. अपेक्षित परिणाम
   - काम और कार्यक्रम में बदलाव।

(3) ऐक्टिव लर्निंग नेटवर्क फॉर एकाउन्टेबिलीटी एन्ड पर्फोर्मेन्स (ANLAP)

विजन

एक ऐसी दुनिया की कल्पना जहां पीड़ितों का गौरव बना रहे और उनकी जरूरत के अनुसार गुणवत्ता वाली सहायता पहुंचाने के निरंतर प्रयास हों।

मिशन

मानवीय कार्यक्षेत्र के कार्य में उत्कृष्टता लाने के उद्देश्य से सीखने की प्रक्रिया में तेजी लाने के प्रयासों को करना। मूल्यांकन करने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाकर उसे सीखने की प्रक्रिया के साथ शामिल करने के प्रयास कियो जाएंगे।

मानवीय काम के क्षेत्र में परिवर्तन और सुधार के लिए के अग्रणी भूमिका ANLAP निभाएगा।

ANLAP द्वारा अपने काम के जो उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं वे संक्षेप में इस प्रकार हैं:

1. सीखने की प्रक्रिया और नीति विषयक तथा क्षेत्रीय निष्पादन में सुधार की प्रक्रिया के बीच सेतु,
2. मानवीय कार्यक्षेत्र के निष्पादन में सुधार की पैरवी,
3. सीखने की प्रक्रिया में निरंतरता और अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए मंच/प्रणाली तैयार करना,
4. मूल्यांकन की गुणवत्ता बेहतर करने और मूल्यांकन के अनुभवों का उपयोग नागरिक संगठनों द्वारा उपयोग करने के प्रयास,
5. मानवीय कार्यक्षेत्र वैश्विक स्तर पर सीखने की प्रक्रिया को वेग/बढ़ावा देने के लिए प्रयास।

ANLAP द्वारा अपने कार्यों के लिए रणनीति निर्धारित की गयी है। यह ANLAP रणनीति 2008-2013 के दस्तावेज के रूप में उपलब्ध है।

ANLAP नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। अपने सदस्यों की विभिन्न तरीकों से सहायता करता है। जैसे, अनुभवों का प्रलेखन करके अन्य सदस्यों तक पहुंचाना, आपदा प्रतिक्रियाओं के मूल्यांकन से सीखने वाली बातों को अलग निकाल कर सबके ध्यान में लाना, आपदा की परिस्थितियों से संबंधित विश्लेषण के आधार पर निष्पादन में सहायता करने वाले संगठनों को जरूरतों के बारे में सूचित करना, आदि।

नेटवर्क का प्रत्येक सदस्य संगठन आपदा स्थितियों में काम करते समय रहे के गुणवत्ता और जवाबदेही के बारे में जागरूक बने, अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया जीवंत रखे, अन्य संगठनों के साथ अपने अनुभवों का आदान-प्रदान करे, इससे समग्र कार्यक्षेत्र में सुधार की प्रक्रिया के कार्यान्वयन के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है।

(4) एक्ट एलायंस

सदस्य संगठनों में गुणवत्ता और जवाबदेही की संस्कृति के निर्माण करने के उद्देश्य से एक्ट एलायंस शुरू किया गया था। 140 देशों में 125 से अधिक चर्च और उनसे संबद्ध संगठन कार्यरत हैं, और एक्ट एलायंस के एक सदस्य है।

यह अपेक्षित है कि प्रत्येक सदस्य संगठन एक्ट एलायंस के सदस्य के रूप में अपनी शासन प्रणाली में निश्चित बातों को शामिल करे।

इस तरह यह आशा है कि विश्व स्तर पर गुणवत्ता और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता वाले एक संगठन-समूह की रचना होगी।

एक्ट एलायंस के सदस्यों में विभिन्न हित समूह शामिल हैः सदस्य उनके सहभागी संगठनों, तथा जन समुदाय जिनके लिए विभिन्न संस्थाएं कार्य करती हैं।

एक्ट एलायंस का सपना एक ऐसे जन समुदाय की रचना करने का है जहां सभी मनुष्य गरिमा, न्याय, शांति, मानव अधिकार और पर्यावरण के प्रति आदर भावना के साथ जीवन बिता सकें। इसके सदस्य लोगों के संयुक्त प्रयास से गरीबी और उत्पीड़न पीड़ित जनता में सकारात्मक और स्थायी परिवर्तन लाने के उद्देश्य से मानव विकास से संबंधित और पैरवी की रणनीति बनाई गई है।

एक्ट एलायंसः प्रशासनिक संरचना

सभी सदस्य मिलकर 23 सदस्यों की महासभा और कार्यकारी समिति (7 सदस्य संचालक मंडल से और 6 अन्य सदस्य) बनाते हैं। संगठन का सचिवालय जिनेवा में है।

एक्ट एलायंस का संस्थापक दस्तावेज़ (2009) है, उसमें विज़न, मिशन, उद्देश्यों, और सदस्यों से अपेक्षाएं वर्णित हैं। प्रत्येक सदस्य को लागू बातें और सदस्यों को जिस बारे में अपनी प्रतिबद्धता दर्शानी हैं वे निम्न हैंः

- सदस्य पदों का अनुबंध।
- आचारसंहिता।
- यौन उत्पीड़न और सत्ता का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, संबंधित आचारसंहिता।
- आपात स्थितियों में निष्पादन, नीतिगत दिशानिर्देश, और साधन।
- राष्ट्रीय और क्षेत्रीय फोरम की नीति और दिशानिर्देश।
- पैरवी के लिए नीति।
- को-ब्रांडिंग संबंधित नीति।
- भ्रष्टाचार और घोटाला विरोधी नीति।
- शिकायत निवारण नीति।
- सदस्यता और अनुशासन नीति।

उपरोक्त के अलावा, पांच अंतरराष्ट्रीय मानकों की स्वीकृति और उनके लिए प्रतिबद्धता एक्ट एलायंस में बुनियादी बातें हैं।
इन पांच अंतरराष्ट्रीय मानकों में शामिल हैंः

- अंतरराष्ट्रीय रेडक्रॉस और रेड क्रीसेंट तथा स्वैच्छिक संगठनों के लिए आचारसंहिता ।
- भागीदारी के सिद्धांत।
- ह्यूमेनिटेरियन एकाउन्टेबिलीटी पार्टनरशिप (HAP) की जवाबदेही के मानक।
- एच.आई.वी.-एड्स के बारे में काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों के लिए आचारसंहिता (कोड ऑफ गुड प्रैक्टिस)।

कार्यक्षेत्र और सभी क्षेत्रों लिए लागू पड़ने वाले मामलों में नीति से संबंधित मार्गदर्शन के लिए कई दस्तावेज़ बनाए गए हैं। उनमें क्षमता वृद्धि, मौसम परिवर्तन, विकास योजना-कार्यान्वयन-मूल्यांकन, खाद्य सुरक्षा जैसे मामले शामिल हैं।

(5) पीपल इन एड

आपदा प्रभावित लोगों और गरीबी उन्मूलन से संबंधित पैरवी का काम करने वाली संस्थाएं पीपल इन एड की सदस्य बनती हैं।

पीपल इन एड जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने वाली और विकास से संबंधित कार्यों में शामिल संस्थानों का अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है। पीपल इन एड मानव संसाधनों के प्रबंधन में सुधार के लिए प्रयास करता है। कोड ऑफ गुड प्रैक्टिस जैसे साधनों के द्वारा सदस्य संगठनों की मदद की जाती है।

गरीबी उन्मूलन, आपदा सहायता, प्रतिभाव और विकास के कार्य करने के लिए सहायता देने वाले संगठनों के निष्पादन में कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं।

पीड़ितों का सहायक बनने की चिंता में कभी-कभी ऐसा होता है संगठन के कार्यकर्ताओं कम ध्यान दिया जाता है। यदि ऐसा होता है तो यह लंबी अवधि के निष्पादन की गुणवत्ता पर इसका सीधा प्रभाव होता है। इस बात को ध्यान में लेकर मानव संसाधन के बारे में चिंता के मुद्दे को प्राथमिकता मिले तथा इसके बारे में संगठन सजग बनकर प्रयत्नशील बनाने का कार्य पीपल इन एड द्वारा किया जाता है।

आपदा सहायता और विकास कार्यों में शामिल संगठन गरीब, आप्रवासी संघर्ष प्रभावित, असहाय और वंचित जो अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं उनके लिए काम करते हैं। 1994 में, कुछ संगठनों को लगा कि शायद उनके कार्यकर्ताओं को जिनके लिए संगठन काम करता है को भी शामिल किया जा सकता है? सुधार के लिए अवसर दस्तावेजों में दर्शाए अनुसार, सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार कार्यकर्ताओं के संचालन में काफी कमी पायी गई और उन्हें आवश्यक सहायता की कमी पायी गई।

इस बारे में सुधार लाने के उद्देश्य से पीपल इन एड - कोड ऑफ गुड प्रैक्टिस इन दी मैनेजमैंट एन्ड सपोर्ट ऑफ एड पर्सोनल नामक दस्तावेज़ तैयार किया गया था।

इस दस्तावेज़ के सात मार्गदर्शक सिद्धांत पेश किए गए हैं:

1. मानव संसाधन से संबंधित नीति

कर्मचारी रणनीतिक और कार्यक्रम की योजना में शामिल हों। मानव संसाधन प्रबंधन रणनीति संगठनात्मक रणनीति के केंद्र में हो। प्रत्येक सदस्य संस्था से अपने कर्मचारियों से संबंधित नीतियां बनाना और उसे इसके कार्यान्वयन की व्यवस्था में लग जाना अपेक्षित है।

2. कार्मिक नीति और प्रक्रिया

मानव संसाधन नीति प्रभावी और पारदर्शी हो। संस्थानों द्वारा यह नीति निर्धारित की जानी चाहिए कि कर्मचारियों के लिए गुणवत्ता वाला काम का माहौल बने।

3. मानव संसाधन प्रबंधन

प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालने वाले कर्मचारियों को आवश्यक सहायता और प्रशिक्षण मिलता रहे ताकि वे अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभा सकें। अन्य कार्यकर्ता के पास काम कराने की जिनकी जिम्मेदारी है उन कार्यकर्ताओं का नेतृत्व प्रभावी परिणाम लाने में एक महत्वपूर्ण कारक है।

4. संचार और प्रोत्साहन

संगठन के संचालन में शामिल सभी वेतनभोगी या स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद होता रहना और उन्हें जरूरी सूचना मिलती रहना महत्वपूर्ण बात है। कार्यकर्ताओं से संबंधित नीति प्रक्रिया का निर्धारण करते समय उनके साथ चर्चा हो, उनकी राय लेना आवश्यक है।

5. भर्ती और चयन

संगठन में कार्यकर्ताओं की भर्ती और चयन की नीति और प्रक्रिया इस बात का संकेत है उनके साथ कैसा व्यवहार होगा। कार्यकर्ता संगठन की जरूरतों को पूरा करने के लिए कितना अधिक प्रभावी होगा इसका काफी आधार भर्ती और चयन पर निर्भर करता है।

6. शिक्षा, प्रशिक्षण और विकास

कार्यकर्ता लगातार सीखते रहें इसके लिए अनुभवों का आदान-प्रदान करने, संगठन के सभी स्तरों पर प्रशिक्षण और विकास करने के लिए वातावरण बनाने के प्रयासों को सुनिश्चित करने को महत्व देने की आवश्यकता है। कार्यकर्ता व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से विकसित होते रहेंगे तो लंबी अवधि के लिए संगठन के विकास का आधार बने रहेंगे।

7. स्वास्थ्य और सुरक्षा

कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा संगठन की जिम्मेदारी है। आपदा सहायता और विकास का कार्य जटिल और कभी कभी असुरक्षित स्थितियों में करना होता है। कार्यकर्ताओं का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के प्रयास किये

जाने चाहिए। कार्यकर्ताओं के साथ उनके परिवारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को शामिल कर लेना आवश्यक है।

पीपल इन एड के केंद्रीय विचार में कार्यकर्ता हैं। संगठन के कार्य को लंबी अवधि के लिए असरकारक बनाने के लिए मानव संसाधन यानि कि कार्यकर्ताओं की गुणवत्ता को ध्यान में लेकर सदस्य संगठन उससे संबंधित उपयुक्त नीति बनाएं, कार्यकर्ताओं का विकास, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए पर्याप्त ध्यान रखने के लिए पीपल इन एड कार्यरत है। लंबे समय में ये बातें आपदा प्रबंधन और विकास के क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता और जवाबदेही के इन पहलुओं को मजबूत करने में उपयोगी साबित होंगी।

उपसंहार

आपदा प्रबंधन के काम की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है क्योंकि संदर्भ और स्थिति बदलती रहती है। नई चुनौतियां और समस्याएं आती ही रहेंगी।

इस लेख में प्रस्तुत जानकारी के आधार पर आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम कर रहे संगठनों और कार्यकर्ताओं के लिए गुणवत्ता और जवाबदेही संबंधित पहलुओं के बारे में सोचना शुरू करना आवश्यक है। अपने संगठन के प्रशासन, प्रशासनिक प्रबंधन और कार्यक्रमों में किन मामलों में गुणवत्ता और जवाबदेही के पहलुओं को शामिल करके सुधार की जरूरत है उस पर बहस की शुरूआत करके, मुद्दों की पहचान करके, परिवर्तन के लिए आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे। कार्यकर्ताओं की समझ और के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने के साथ उनकी सुरक्षा और कल्याण के लिए व्यवस्था करना भी जरूरी है।

गुणवत्ता और जवाबदेही के बारे में परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इसलिए आपदा प्रबंधन में कार्यरत सभी संगठन और कार्यकर्ता एक दूसरे से जुड़े रहें, सहचिंतन करें और बदलाव की प्रक्रिया में एक दूसरे के पूरक बनें तभी पूरे क्षेत्र में सुधार किया जा सकता है। गुणवत्ता और जवाबदेही के ढांचे का इस्तेमाल निष्पादन के प्रत्येक चरण में किया जा सकता है। परियोजना का प्रस्ताव तैयार करने, इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के चरणों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपदा व्यवस्थापन के विभिन्न प्रयासों के लिए कार्यों का समर्थन करने वाले संगठन, नेटवर्क का एक सदस्य है । इस प्रकार, उनकी ओर से भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि संगठन गुणवत्ता और जवाबदेही की ढांचे से किस तरह जुड़ते हैं। इससे केवल वैचारिक स्तर पर समझने से काम पूरा नहीं होता। इसे साकार करने के लिए संस्थागत प्रयास ठोस परिणाम लाने के लिए उपयोगी होंगे।

संदर्भः

1. स्ट्रेन्दनिंग ह्यूमेनिटेरियन नेटवर्क्सः एप्लाइंग द नेटवर्क फंक्शन्स एप्रोच, ओवरसीज डेवलपमेन्ट इंस्टीट्यूट, 2008.
2. द स्टेटऑफ ह्यूमेनिटेरियन सिस्टम, 2012, अलनाप.
3. अलनाप स्ट्रेटेजी, 2008-13
4. ह्यूमेनिटेरियन एकाउन्टेबिलिटीः की ऐलीमेन्ट्स एन्ड ऑपरेशनल फ्रेमवर्क, ह्यूमेनिटेरियन एकाउन्टेबिलिटी प्रोजेक्ट, 2001.
5. ह्यूमेनिटेरियन एकाउन्टेबिलिटी पार्टनरशिप-इंटरनेशनल, मेकिंग ह्यूमेनिटेरियन एक्शन एकाउन्टेबल टू बेनिफिशयरीज, प्रिंसिपल ऑफ एकाउन्टेबिलिटी, जनवरी -2007.
6. डिजास्टर मैनेजमेन्ट एथिक्स, यूएनडीपी, डीएचए, 1997.
7. फोस्टरिंग एकाउन्टेबिलिटी एन्ड क्वालिटी अमंग ह्यूमेनिटेरियन एड एजेंसीज थ्रू ए प्रोसेस ऑफ एक्रिडिटेशनः हिस्टरी ऑफ ओवरव्यू ऑफ करंट ऑप्शन्स एन्ड पोटेन्शियल कॉन्ट्रिब्यूशन्स फ्रॉम स्फीयर.
8. स्फीयर हैंडबुक, 2004, 2011.
9. http:www.alnap.org
10. http:www.hapinternational.org
11. http:www.sphereproject.org
12. http:www.peopleinaid.org
13. http:www.actalliance.org

जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र

यह केंद्र कमान, नियंत्रण और संचार के सिद्धांतों के अनुसार काम करता ताकि आपात स्थितियों में प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। यह केंद्र समुदाय को कम से कम मुसीबत का सामना करना पड़े और पुनर्वास की प्रक्रिया अधिक गुणवत्ता वाली बने इसके लिए अधिक कुशल और दक्ष है। यह केन्द्र स्थानीय स्तर पर स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं को प्रभावी ढंग से काम करने में सहायता प्रदान करने में कुशल है।

जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र के जिला स्तरीय परियोजना अधिकारियों (जीएसडीएमए) की सूची

क्रमांक	नाम	कार्य स्थल	पद	संपर्क (मोबाइल फोन)
1	प्रशांत मकवाणा	अहमदाबाद	डी.पी.ओ.	9825498315
2	माधव ए. हाथी	अहमदाबाद शहर	परियोजना अधिकारी	9099298532
3	ऋतु त्रिवेदी	अमरेली	डी.पी.ओ.	9426969236
4	दर्शना पघादार	आनंद	डी.पी.ओ.	9974772343
5	निर्मल बी. शर्मा	बनासकांठा	डी.पी.ओ.	8460257022
6	भावेश गोहिल	भरूच	डी.पी.ओ.	9824468110
7	डिंपल तेरैया	भावनगर	डी.पी.ओ.	9824438275
8	प्रवीणसिंह राठौड़	दाहोद	डी.पी.ओ.	9904388750
9	भूमित परमार	डांग	डी.पी.ओ.	8866811382
10	वर्षा पटेल	गांधीनगर	डी.पी.ओ.	9824502718
11	यशवंत परमार	जामनगर	डी.पी.ओ.	9426950783
12	यकीन शिवानी	जूनागढ़	डी.पी.ओ.	9427433979
13	सुरुचि आकोलकर	खेड़ा	डी.पी.ओ.	9974036919
14	चेतनाबा राजपूत	कच्छ	डी.पी.ओ.	9909069606
15	अंजेला आर गामडिया	मेहसाणा	डी.पी.ओ.	9898283817
16	मिकी गांधी	नर्मदा	डी.पी.ओ.	9924212033
17	राकेश पी. सोलंकी	पंचमहल	डी.पी.ओ.	9724734209
18	कमलेश पटेल	पाटन	डी.पी.ओ.	9426533915
19	हरेश डोडिया	पोरबंदर	डी.पी.ओ.	9825664254
20	सुनील पी. तिवारी	राजकोट	डी.पी.ओ.	9426171920
21	कनैयालाल पटेल	साबरकांठा	डी.पी.ओ.	9426341785
22	प्रशांत मकवाणा	सुरेंद्रनगर (प्रभारी)	डी.पी.ओ.	9825498315
23	अक्षय बारोट	सूरत	डी.पी.ओ.	9909208705
24	भूपेंद्र चौधरी	तापी	डी.पी.ओ.	9726733431
25	हिरेन ठाकर	वडोदरा	डी.पी.ओ.	9426760771
26	चिराग एच. सोनी	वलसाड	डी.पी.ओ.	9724116776

हेल्पलाइन - टोल फ्री आपातकालीन नंबर: 1077

गरीबों के लिए नकद भुगतान की योजना

भारत सरकार ने हाल ही में गरीबों को नकद राशि देने के लिए इस योजना को लागू करना शुरू कर दिया है। आजादी के बाद से गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए, गरीब परिवारों को सक्षम बनाने के लिए सरकार कई तरह की परियोजनाओं को लागू करती है। इसमें वह लाखों रुपए सब्सिडी पर खर्च करती है। यह राशि गरीबों तक नहीं पहुँचने की व्यापक शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। भारत सरकार ने विकल्प के रूप में गरीबों के लिए नकद भुगतान योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के सफल होने में कार्यकर्ताओं और नौकरशाहों और अर्थशास्त्रियों के बीच काफी मतभेद मौजूद हैं। यहाँ इस परियोजना के बारे में कुछ विचार प्रस्तुत किये गये हैं।

लोगों को चयन करने दें: अनाज देना या नकदी देना सरकार को लोगों पर नहीं थोपना चाहिए

- रेनाना झाबवाला, सेवा भारत, नई दिल्ली

सभी लोग इससे सहमत हैं कि आम आदमी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। आने वाला खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक ऐसा ही प्रयास है। सभी इस बात से भी सहमत हैं कि सरकार जो सेवाएं प्रदान करती है उनमें काफी कमियां हैं और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है। इस दोषपूर्ण प्रणाली के वैकल्पिक विचार के रूप में गरीबों को सीधे नकदी देना तय किया गया है।

हालांकि, अपेक्षा के अनुसार इस विषय पर चर्चा करने पर कई मुद्दे सामने आए हैं। एक पक्ष का मानना है कि सेवाएं प्रदान करने में जो कमियां हैं वे सभी नकद राशि प्रदान करने से दूर हो जाएंगी। दूसरों का मानना है कि नकद राशि के भुगतान से गरीबों के हितों को खतरा उत्पन्न होगा और यह संकेत जाएगा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है। इस चर्चा के ये दो पहलू आज उल्लेखनीय हैं। सबसे पहले, या तो नकद राशि या तो अनाज के अंतिम छोर पसंद किए जाते हैं। एक और मुद्दा यह है कि विभिन्न हिमायत करने वाले समूहों के बीच चर्चा में गरीब उपभोक्ता की आवाज नदारद है।

जो लाभार्थी हैं उन्हें नकद राशि और अनाज दोनों के बीच चयन का मौका दिया जाना चाहिए? यदि चयन नीति अपनायी जाए तो परिवार की वर्तमान स्थिति में अपनी जरूरतों के अनुसार जो सबसे अच्छा लगे उसे चयन करने का अवसर मिलता है। चयन अवसर से लोगों को यह जानने का अवसर मिलता है कि ऐसा नहीं है कि उन्हें सिर्फ पितृसत्तात्मक राज्य के मार्गदर्शन जरूरत है ही। यदि भारत के मध्यम वर्ग को उदारीकरण के परिणाम स्वरूप उसे चयन करने के लिए जो विकल्प मिलते हैं उनसे लाभान्वित हुआ होता तो गरीबों को सामाजिक सुरक्षा के वैकल्पिक रूपों के बीच चयन के लिए क्यों वंचित रखा जाता है?

भारत में आज गरीबों को सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा प्रदाता व्यवस्था सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) है। इसमें केंद्र सरकार गरीब परिवारों को अनाज, चीनी, और केरोसीन में सब्सिडी देती है। यह प्रणाली बहुत प्रभावी नहीं है। हर साल, हालांकि ६०,००० करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाती है फिर भी २००५ में योजना आयोग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निष्पादन के मूल्यांकन में यह कहा कि यह सब्सिडी केवल ३२ प्रतिशत गरीबों तक पहुँचती है। गरीब लोगों को पैसे देने के वैकल्पिक तरीके में सब्सिडी की राशि उनके बैंक खातों में जमा होगी। इस राशि से वे खाद्य वस्तुओं की खरीद कर सकेंगे और उनके लिए अधिक खाद्य सुरक्षा होगी।

दिल्ली सरकार ने दिल्ली के 'सेवा' संगठन के साथ मिलकर एक प्रायोगिक अध्ययन किया था। इसमें यह अध्ययन किया गया कि शहरी गरीबों को खाद्य सुरक्षा पर नकदी राशि देने क्या प्रभाव

पड़ेगा। पश्चिम दिल्ली में एक गरीब इलाके में एक वर्ष तक यह अध्ययन किया गया है। 450 बीपीएल कार्ड धारकों को यह पूछा जाता था कि क्या वे इस अध्ययन में भाग लेना चाहते हैं। उनकी हाँ और ना दर्ज की गई और जिन्होंने हां कहा था उनमें से 100 को नकद राशि हस्तांतरित करने के लिए चुना गया था। बाकी के हाँ कहने वालों को और सभी ना कहने वालों को नियंत्रण समूह माना गया।

नकदी प्राप्तकर्ता परिवारों को इस अवधि के दौरान सस्ते अनाज की दुकानों से कोई खरीदी नहीं करने दी गई। जिस परिवार में नकद राशि दी जाती थी वह महिला के नाम से दी जाती थी। महिला के नाम में ही निकटतम बैंक में एक खाते खोला गया, और हर महीने खाते में राशि जमा की जाती थी। प्रत्येक परिवार को हर महीने 1000 रुपए में मिलते थे जो पहले मिलने वाली सब्सिडी जितने ही थे।

अध्ययन के परिणामों से संकेत मिलता है कि परिवारों को मिली नकद राशि से पोषण के स्तर में सुधार हुआ था। वे नकद राशि प्राप्त नहीं करने वाले परिवारों की तुलना में 60 प्रतिशत अधिक मांसाहारी वस्तुएं और दालों की खरीद कर सके थे। हालांकि, दोनों समूहों द्वारा खरीदे अनाज और चीनी की मात्रा यथावत रही थी। हमें यह बताया गया कि एक महीने में एक बार कई महिलाएं किराए का रिक्शा लेकर थोक बाजार में कम कीमत पर अपना पसंदीदा अनाज खरीदने गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि जो अनाज सस्ते अनाज की दुकानों में मिलता है उसकी तुलना में उन्होंने ज्यादा बेहतर खरीदा था।

परंपरागत रूप से एक डर यह है कि नकद राशि मिलेगी तो पुरुष लोग शराब पीकर उस रकम को खर्च कर देंगे। हमारे अध्ययन से पता चलता है कि जिन परिवारों को नकद राशि दी गई थी उन परिवारों में शराब पीने में वृद्धि नहीं हुई थी। एक पुरुष ने कहा कि हाँ, हम पहले की तरह शराब पीते हैं लेकिन हम अनाज के पैसे को नहीं छूते। महिलाओं ने कहा कि उनके बैंक खातों में पैसा आने से उन्हें लगता है कि वे मजबूत हो रही हैं और उन्हें लगता है कि वे अपने परिवार के लिए इस पैसे का उपयोग कर सकती हैं। नकद राशि का कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे कुछ परिवारों को स्वास्थ्य की समस्याओं का अचानक सामना करना पड़ा तब उसका इस्तेमाल किया गया था। कुछ परिवारों ने इस राशि का उपयोग अपनी आय बढ़ाने के लिए पूंजी की रूप में किया।

सस्ते अनाज की दुकान के मालिकों ने इस प्रयोग को अपने खिलाफ एक प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा। इसका इस क्षेत्र की दुकानों के लिए बहुत ही रोचक परिणाम यह आया कि ये दुकानें प्रतिस्पर्धा के भय से और अधिक कुशल तरीके से काम करने लगी! उन्होंने जो परिवार नकद नहीं ले रहे थे उन गरीब परिवारों को अनाज प्रदान करने के लिए मात्रा और गुणवत्ता दोनों में सुधार किया। उन्होंने रोज अपनी दुकानें खुली रखी? यह प्रयोग यह दर्शाता है कि बीपीएल कार्डधारक ने वर्ष के प्रारंभ में अनाज और नकदी के बीच चयन करने के लिए कहा जाए, और एक साल बाद उसे बदलने का अधिकार भी दिया जाए। हालांकि, यह महत्वपूर्ण है कि महिला के परिवार के हाथ में नकद राशि दी जाती है। इसके अलावा, यह भी स्वीकारना चाहिए कि यह प्रयोग दिल्ली में सफल हो सकता है जहां बैंकों की काफी शाखाएं हैं। हालांकि, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को इस तरह से वित्तीय रूप से शामिल नहीं किया। यह अभाव महिलाओं के लिए काफी बुरा है। इसका मतलब यह है कि गरीब परिवारों के लिए नकद भुगतान नीति वहीं सफल रही जहां बैंक की पर्याप्त शाखाएं हैं। अन्न सुरक्षा के बारे में दशकों तक विचार - विमर्श और प्रयोगों के के बाद अब समय आ गया है कि हम लोगों को सुनें और उन्हें क्या चाहिए उसे उन्हें निर्धारित करने दें।

(स्रोतः 22.10.2012, द टाइम्स ऑफ इंडिया)

नकद राशि देना एक अच्छा तरीका है

- अरविंद पेनागरिया, कोलंबिया विश्वविद्यालय, अमेरिका

भारत में भूख और कुपोषण परिस्थिति गंभीर है जिससे अक्षम, भ्रष्ट और त्रुटियों वाली की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम आ रहा है और उसके प्रचार के लिए सबसे मजबूत तर्क यही है। हालांकि, इन लोगों द्वारा जो निदान और

हल दिया जा रहा है उसमें गंभीर कमियां मौजूद हैं।

नागरिक समाज समूहों और विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य और कृषि संगठन और विश्व बैंक से पता चला है कि 20 फीसदी या अधिक भारतीय भुखमरी झेलते हैं। और इससे अधिक लोग कुपोषण से पीड़ित हैं। लेकिन यह तर्क पिछले दो दशकों के दौरान भारत में कैलोरी की खपत में तेजी से गिरावट के रुख पर आधारित है। अमीर या गरीब, शहरी या ग्रामीण, सभी उपभोक्ताओं में यह प्रवृत्ति पायी गयी है।

लेकिन जब उन्हें राष्ट्रीय व्यय सर्वेक्षण में यह पूछा गया कि क्या उनके पास पूरे वर्ष के लिए खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में होता है या नहीं तो भारतीय लोगों ने बिल्कुल उल्टा जवाब दिया। 1983 में, इस सवाल का जवाब ना में देने वाले 17.3 प्रतिशत थे, लेकिन 1993-94 में यह अनुपात घटकर 5.2 फीसदी रह गया। 1999-2000 में यह 3.6 प्रतिशत और 2004-05 में केवल 2.5 प्रतिशत रह गया था।

जो यह कहते हैं कि ये आंकड़े अस्वीकार्य हैं, उनका तर्क है कि जब परिवार के प्रमुख जवाब देते हैं तब ऐसा नहीं कहते कि उनके परिवार में भुखमरी है क्योंकि इसमें उन्हें शर्म आती है। लेकिन तथ्य यह नहीं है। उसी परिवार के मुखिया को बीपीएल कार्ड के लिए आवेदन करते समय और उसके साथ जुड़े लाभ प्राप्त करते समय शर्म नहीं आती। अतः इस तर्क में दम नहीं है और तथ्य यह है कि भुखमरी कम हो रही है। यह बात तो पक्की ही है कि जो 1980 में स्वाभिमानी थे वे 2000 में कम स्वाभिमानी तो नहीं हुए!

कैलोरी की खपत की जरूरत कम होने के तो कई कारण हैं और उससे सभी श्रेणियों में गिरावट आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि यंत्रीकरण तेजी से बढ़ रहा है। बहुत कम लोग अब लंबी दूरी तक चलकर या साइकिल पर जाते हैं, ज्यादातर लोग लंबी दूरी पर जाने के लिए बसों और बाइक का उपयोग करते हैं। कृषि में शामिल आबादी में भी गिरावट आई है। अधिक से अधिक बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उन्हें मध्याह्न भोजन योजना से जो कैलोरी मिलती है वह तो परिवार में उपयोग के खर्च में गिनी नहीं जाती, और उसके आधार पर ही कैलोरी खपत के आंकड़े निकाले जाते हैं।

शहरी क्षेत्रों में भी यही कारक काम करते हैं। निजी और सार्वजनिक दोनों परिवहन व्यवस्था में सुधार होने से शारीरिक श्रम करके दूर जाना कम हो गया है। निर्माण कार्य के लिए मशीनों का इस्तेमाल होने से शारीरिक श्रम की आवश्यकता कम हो गयी है। कर्मचारी अधिक से अधिक टेबल-कुर्सी पर काम करने लगे हैं। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन से कैलोरी की खपत बेहतर तरीके से होती है और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सुधार से वास्तविक कैलोरी की खपत कम हुई है। आम तौर पर शहरी क्षेत्रों में पानी नल से मिलता है, जल शुद्धिकरण प्रणाली बेहतर हुई है, ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंप और ट्यूबवेल बढ़े हैं जिससे पीने के स्वच्छ पानी की सुविधा बढ़ी। इससे आंत्र रोग कम हो गया है जिससे अन्न शरीर में जमा नहीं होने देता। दवाओं की उपलब्धता बढ़ने की वजह से अतिरिक्त कैलोरी शरीर में जमा होती है। लोगों के शरीर की ऊंचाई और वजन बढ़ रहा है इसीसे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि कैलोरी की खपत कम होने से कुपोषण में वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो के सर्वेक्षण से पता चला है कि 1975-79 से 2004-05 के दौरान सामान्य शरीर द्रव्यमान सूचकांक की तुलना में कम वाले पुरुषों का अनुपात 56 फीसदी से गिर कर 33 फीसदी रह गया। और महिलाओं का अनुपात 52 प्रतिशत से गिर कर 36 प्रतिशत रह गया। आंकड़े यह भी बताते हैं कि महिलाओं और पुरुषों दोनों की ऊंचाई बढ़ रही है। जीवन, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर लगातार घट रही है।

इन कारणों से कैलोरी की कम खपत पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जो भ्रामक है, क्योंकि वास्तविक समस्या संतुलित आहार की है और अनाज की खपत से अलग है। लेकिन अगर कैलोरी की खपत का बढ़ना लक्ष्यांक हो तो भी इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का वितरण इसका उत्तर नहीं है। आय में वृद्धि होने के बावजूद अगर व्यक्ति अनाज का उपयोग कम करना पसंद करते हों तो कम कीमत पर अधिक अनाज उपलब्ध कराने से स्थिति नहीं बदल जाएगी। परिवार अपने हिस्से का सस्ता अनाज खरीदेंगे और बाजार में

अधिक कीमत पर बेच देंगे। यह अपवर्जन वयस्कों को भी जो एक संतुलित आहार की जरूरत के लिए पर भी लागू होता है। भारत में बच्चों के कुपोषण के बारे में निशा मल्होत्रा जैसे अर्थशास्त्री द्वारा जो अध्ययन किया गया है वह यह दर्शाता है कि केवल अनाज की उपलब्धता बढ़ाने के बजाय आहार के उचित तरीकों बारे में माताओं को बताने से स्थिति में सुधार आएगा। यह बात वयस्कों पर भी लागू होती है जिन्हें संतुलित आहार की जरूरत होती है।

इन सबूतों और विश्लेषण के बावजूद, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रचारक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वत्रीकरण चाहते हैं और मानते हैं कि इससे गरीबों और अधिक अनाज मिलेगा, वे अनाज का अधिक उपयोग करेंगे तो उनका पोषण बेहतर होगा। जब मैंने दूसरे और तीसरे प्रतिपादन का विरोध किया गया तब जो सबूत हैं वे पहले प्रतिपादन के सामने सवाल उठाते हैं। हाल ही में एक लेख में, पीटर स्वेदबर्ग कहते हैं कि, शेष परिवारों को शामिल करने के लिए ही सार्वत्रीकरण के समर्थन के लिए सबूत दिए जा रहे हैं वे उसके कायल नहीं हैं। 1997 से पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिद्धांत रूप में सार्वभौमिक थी। लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में गरीब परिवार उसमें से बाकी रह गए थे या वे सस्ती कीमतों पर बहुत कम मात्रा में अनाज खरीदते थे।

राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए भारी दबाव के बावजूद गरीबों को नकद राशि देने का निर्णय लिया गया है वह निराशाजनक है और मंत्रिमंडल ने काफी खामियों वाले खाद्य सुरक्षा अधिनियम को भी मंजूरी दे दी है। नकद राशि दी जाए, लोगों को संतुलित आहार के बारे में जानकारी देने के लिए अभियान चलाया जाए और कृषि, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार किए जाएं वही सही दिशा के सुधार हैं। बड़े पैमाने पर अनाज के वितरण से सरकार को कोई तुलनात्मक लाभ प्राप्त नहीं होता, लेकिन इससे यह भी सुनिश्चित नहीं होता कि कैलोरी की खपत बढ़ेगी, संतुलति आहार की बात तो काफी दूर है।

आर्थिक विकास दर बढ़ने से सरकार के राजस्व में वृद्धि हुई है। इससे यूपीए सरकार ने पुनर्वितरण कार्यक्रम तेजी से वितरित किया है। जैसे कि खाद्य सब्सिडी में वृद्धि, मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। लेकिन बहुत कम लोगों तक इन कार्यक्रमों के लाभ पहुँचते हैं। इन सभी परियोजनाओं में भ्रष्टाचार की व्यापक महामारी है। चीन के बिल्कुल विपरीत भारत में सरकार गरीबों को सामाजिक लाभ के मामले में निराशाजनक, अप्रभावी और अक्षम बनी हुई है।

उदाहरण के लिए 11 वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के स्टॉक में से 2004-05 में की गई निकासी में से 54 फीसदी अनाज लाभार्थियों तक पहुंचा ही नहीं। इससे भी बुरी बात यह है कि निगम द्वारा अनाज खुले में संग्रह किया जाता है जो बारिश में बह जाता है, खराब हो जाता है या चोरी हो जाता है । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में भी ऐसा ही होता है। तीसरे भाग से लेकर 50 प्रतिशत तक नियत वेतन तो तालुका स्तर तक के अधिकारियों को रिश्वत के रूप में चुकाया जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों और देखभाल प्रणाली में उप केन्द्रों, सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ नहीं है। इससे 80 प्रतिशत रोगियों को निजी अस्पतालों में इलाज करवाना पड़ता है। सरकारी स्कूलों में शिक्षक आते ही नहीं जिससे निजी स्कूलें फल-फूल रही हैं।

सरकार की आपूर्ति श्रृंखला में जो कमियां हो रही हैं उन्हें रोकने के लिए दशकों से किए जा रहे प्रयास विफल रहे हैं, इससे स्थिति में सुधार नहीं हुआ। तथ्यों का कहना है कि इस तरह की कमियों में वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई । इससे, सरकार और भ्रष्ट और अक्षम वितरण प्रणाली के लाभ प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों को यह पाखंड छोड़ देना चाहिए कि इस या उस कमी को दूर करने से व्यवस्था कार्य करेगी। इसी प्रत्याशा में लोगों द्वारा 50 साल तक दुख सहन करना पड़ा है, और अब बहुत हुआ ! लाभार्थियों को न्याय मिले और सरकारी और गैर - सरकारी संगठन जो करदाताओं की आय का दुरुपयोग करते हैं उन्हें न्याय दिलाने के लिए उपयुक्त विकल्पों को लागू किया जाना चाहिए। आपूर्ति प्रदान करने वाली कम से कम दो प्रणालियां है जो कम लागत पर वस्तुएं और सेवाएं प्रदान कर सकती

हैं। एक है वाउचर प्रणाली। इसमें वाउचर धारक द्वारा व्यक्ति कुछ निश्चित वस्तुओं या सेवाओं को कम कीमत पर सार्वजनिक या निजी दुकान से खरीदा जा सकता है। दूसरी है सीधे नकद राशि हस्तांतरण।

सरकार वाउचर प्रणाली में लाभार्थी को एक वाउचर देती है और वह इस वाउचर का इस्तेमाल कम कीमत पर अनाज की खरीद के लिए कर सकता है। चयन उसे करना होता है। जिसने वस्तुओं या सेवाओं को प्रदान किया है वह सरकार से सब्सिडी की राशि प्राप्त कर लेगा। इस योजना में कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक आपूर्तिकर्ताओं को स्वयं के खर्च पूरी तरह समेटने होते हैं और निजी क्षेत्र के साथ मुकाबला करना होता है। नागर विमानन या दूरसंचार क्षेत्र की सरकारी कंपनियों, या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं वैसी प्रतिस्पर्धा नहीं होती।

एक अन्य विकल्प गरीबों को नकदी देना है। सरकार लाभार्थियों को नकद भुगतान करती है और लाभार्थी खुद निर्धारित करते हैं कि उसका कहां उपयोग करना है। हालांकि, 14 वर्ष से कम के बच्चों को स्कूल भेजने या उनकी नियमित रूप से स्वास्थ्य की जांच करवाई जाए तभी नकद राशि मिलेगी ऐसी शर्त लगाई जा सकती है। आलोचक ऐसे कारणों से नकद राशि देने का विरोध करते हैं कि लाभार्थी को जो चीजें खरीदने के लिए नकद राशि दी जाती है वह नहीं खरीद कर जुआ या पीने में प्रयोग करेंगे। लेकिन यह तो अभी जो चीज़ें दी जाती हैं उनमें भी किया जा सकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ते दामों पर अनाज मिलता है उसे बाजार में ऊंची कीमतों पर बेचा जा सकता है और नकद राशि का इस्तेमाल शराब पीने के लिए किया जा सकता है। सस्ती सेवाएं प्रदान की जाएं तो ऐसा नहीं होगा लेकिन इससे लाभार्थियों की अपनी आय बचती है जिससे वे अपनी पसंदीदा चीज़ की खरीद करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार, सरकार विदेशी सहायता कहीं भी उपयोग करती है उस तरह हो सकता है कि व्यक्ति नकद सहायता का उपयोग कहीं भी कर सकता है।

(द टाइम्स ऑफ इंडिया में 25-8-2012 और 19-10-2012 को प्रकाशित लेखों का भावानुवाद)

नकद राशि का हस्तांतरण और यूआइडीः आवश्यक मांगें

(सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य सार्वजनिक सेवाओं के बजाए आधार कार्ड के आधार पर गरीबों को नकद भुगतान करने की भारत सरकार की योजना के विरोध करने वाली यह प्रस्तुति 30/12/2012 को देश भर के 208 कार्यकर्ताओं और विद्वानों द्वारा जारी किया गया था।)

बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, प्रसूति के समय सहायता, छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं में गरीब लोगों को नकद भुगतान करने की योजनाओं का हम समर्थन करते हैं। हालांकि, कल्याणलक्ष्यी योजना के बदले में यूआईडी के आधार पर नकद भुगतान के लिए हम सरकार की योजना का विरोध करते हैं। इस योजना से बड़ी मुसीबत और सामाजिक वंचन की स्थिति का निर्माण हो सकता है। हम निम्नांकित बातों की मांग करते हैं:

१. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनाज के बजाय नकद नहीं**
   लाखों लोगों के लिए पोषण और आर्थिक सुरक्षा के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उसका वितरण होना चाहिए और इसे मजबूत किया जाना चाहिए। इसे खत्म नहीं कर देना चाहिए।
२. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तत्काल बनाकर उसमें सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली शामिल करो**
   २०१४ के चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर रकम देने का झूठा वादा देकर लोगों का ध्यान बांटने के बजाए सरकार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाने के अपने वादे को याद करना चाहिए।
३. **सार्वजनिक सेवाओं के बदले में नकद राशि नहीं दी जानी चाहिए**
   कुछ योजनाओं में नकद राशि प्रदान करना उपयोगी हो सकता है तब उसे सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान के लिए पूरक होना चाहिए, जैसे स्वास्थ्य देखभाल, शालीय शिक्षा, पानी की आपूर्ति, बुनियादी सुविधाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आदि। इन सेवाओं के लिए बहुत कम पैसे खर्चे जा रहे हैं।

४. यूआईडी के लिए प्रतीक्षा किए बिना नकद राशि देने की परियोजना का विस्तार करना और सुधारना

पेंशन, छात्रवृत्ति और प्रसूति सहायता जैसी योजनाओं को सुधारने के लिए यूआईडी परियोजना के आगे बढ़ने के लिए इंतजार की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए सामाजिक सुरक्षा की पेंशन में वृद्धि की जानी चाहिए और इसे सार्वभौमिक बनाना चाहिए।

५. कानूनी ढांचे के अलावा यूआईडी के लिए पंजीकरण न हो

किसी भी कानूनी संरक्षण के बिना लोग हैं, लाखों लोगों का बुक के लिए पंजीकरण हो रहा है। संसदीय स्थायी समिति ने इस विधेयक के ड्राफ्ट को खारिज कर दिया है। मजबूत कानूनी ढांचे के बनने तक यूआईडी रजिस्ट्री बंद कर देना चाहिए।

६. यूआईडी पंजीकरण स्वैच्छिक होना चाहिए, अनिवार्य नहीं

किसी भी सार्वजनिक सेवा को प्राप्त करने के लिए यूआईडी का पंजीकरण अनिवार्य नहीं होना चाहिए। इष्टतम विकल्प हमेशा उपलब्ध होना चाहिए।

७. हाल ही में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, नरेगा और अन्य योजना यूआईडी पंजीकरण से अलग रखा जाए

अत्यधिक केंद्रित शैलियों और अनिश्चित तकनीक के साथ प्रयोग करने के लिए आवश्यक सेवाएं उपयुक्त क्षेत्र नहीं है। अन्य मामलों में, उदाहरण के लिए, कर चोरी के लिए उसका पहले प्रयोग किया जाना चाहिए।

समझौताः नकद रकम देने और यूआईडी योजना में होने वाली जल्दबाज़ी का विरोध

वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, मातृत्व सहायता और छात्रवृत्ति के रूप में नकदी राशि देने का हम समर्थन करते हैं। वास्तव में, सामाजिक सुरक्षा के रूप में पेंशन योजना के विस्तार के लिए, और इसे ठीक करने के लिए की जाने वाली लड़ाइयों हम सब का हिस्सा रहा है। इस प्रयोजन के लिए, हम भी आधुनिक प्रौद्योगिकी के समुचित और लोकमित्र उपयोग का समर्थन करते हैं। बहरहाल, हम नकद सहायता उपलब्ध कराने की योजना के आधार अनूठी पहचान (यूआईडी) संख्या के साथ जोड़ने की सरकार की जल्दबाजी के खिलाफ गंभीर आपत्ति उठाते हैं। इसका कारण यह है कि योजनाओं को आधार कार्ड के साथ जोड़ने से बड़ी मुसीबतें आ सकती हैं। उदाहरण के लिए एक बूढ़ा आदमी अभी डाकघर से पेंशन प्राप्त करता है, उसे आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते पर निर्भर रहना होगा। इसके बाद उनका पेंशन फिंगरप्रिंट की समस्या, कनेक्टिविटी की समस्या, बिजली नहीं होना, नकली व्यापार संवाददाताओं जैसी कई समस्याओं के कारण रुक सकती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाला अनाज और अन्य वस्तुओं के बदले नकद भुगतान करने की योजना का भी हम दृढ़ता से विरोध करते हैं। इसके लिए कई कारण हैं। एक यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली लाखों गरीब परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा का स्रोत है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कारण 2009-10 में लगभग पांचवें हिस्से के परिवार गरीबी से काफी बाहर आए थे। तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में तो लगभग 50 प्रतिशत परिवारों के लिए ऐसा सकारात्मक परिणाम आया था। हाल के अनुभव से भी यह पता चलता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में तुरंत सुधार करना संभव है।

दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग प्रणाली अभी भी बड़े पैमाने पर छोटी-छोटी राशि अंतरण के लिए तैयार नहीं है। बैंक कई बार बहुत दूर होते हैं और वहां बहुत भीड़ होती है। बैंकिंग प्रणाली को समाधान दिया जा रहा है, लेकिन उसमें बड़ी समस्याएं हैं। डाक कार्यालयों को ऐसे नकद भुगतान के लिए संस्था बनानी चाहिए लेकिन उसमें समय लगेगा।

तीसरा, ग्रामीण बाजारों का ठीक से विकास कई स्थानों में नहीं दिखता है। अगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली बंद कर दी जाए तो देश भर में अनाज के प्रवाह में बाधा पड़ेगी और कई लोग स्थानीय व्यापारियों और बिचौलियों की दया पर रह जाएंगे।

चौथा, एकल महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और बुजुर्गों जैसे समूहों द्वारा अपनी नकदी लेने के लिए या दूर के बाजारों अनाज खरीदने के लिए आसानी से चल-फिर नहीं सकते, उन्हें भी काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा ।

शेष पृष्ठ 25 पर

खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

हाल ही में भारत सरकार ने खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में 51 प्रतिशत से अधिक इक्विटी पूंजी निवेश को मंजूरी दी थी जिससे बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। निवेश, रोजगार और विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में काफी विरोधाभासी राय प्रकट की गई थी। यहां इस बारे में दो तरह की राय दी गई हैं।

खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से छोटी दुकानों को नुकसान होगा?

- लक्ष्मी मितेर, मुक्त लेखक

अन्नपूर्णा सड़क पर बेचने वाली एक छोटी दुकानदार है। वह देख रही है कि व्यापार धीरे - धीरे उसके हाथ से सरकता जा रहा है। वह ताजा फल और सब्जियां दो हाथ ठेलों में बेच रही है। मैं जिस अपार्टमेंट में रहती हूँ वह उसके नजदीक एक झोंपड़े में रहती है। वह हर दिन ताजा सब्जियां और फल लाती है जो बिग बाजार जैसे मॉल में देखने को नहीं मिलते। वह रोज जितना लाती है उतना बेच देती है। अगर कुछ बच जाता है, तो वह छोटी दुकान में बेचा जाता है।

उसकी एकमात्र समस्या कीमत है। बिग बाजार जैसे मॉल की तुलना में मूल्य कुछ अधिक होता है, लेकिन उपयुक्त है क्योंकि लोगों का मानना है कि उनके घर के पास मिलती हैं, और चीजें अच्छी गुणवत्ता वाली होती हैं। हालांकि, बागवानी उत्पादक सहकारी विपणन और प्रसंस्करण सोसायटी लिमिटेड (होपकोम्स) की हाल ही में अपनी से वैन में उसके ठेले के सामने ताजा सब्जियां और फल बेच रही हैं। उसकी कीमतें कुछ कम हैं तो अब लोग वैन में से चीजें ले रहे हैं। अन्नपूर्णा दलालों या व्यापारियों से माल खरीदती है, जबकि होपकोम्स किसानों से सीधे खरीदते हैं, इसलिए, वे बिचौलियों के कमीशन से बच जाते हैं। इसलिए तो ग्राहकों को यह सस्ती कीमतों पर सामान बेचता है। जबकि, अन्नपूर्णा को तो किसान का मूल्य और व्यापारी का कमीशन दोनों चुकाना पड़ता है। इसके अलावा, अपने निर्वाह के लिए अपना लाभ भी जोड़ना पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप, उसकी कीमत होपकोम्स से थोड़ी अधिक तो होती है।

भारत में असंगठित खुदरा व्यापार के लिए चिंता की बात है। खुदरा व्यापार में असंगठित बाजार ९० प्रतिशत है। खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है को इसके बारे में चल रहा है भारी वाद - विवाद चल रहा है। हमारे द्वारा गंभीरता से विचार करने वाला मुद्दा यह है कि सरकार द्वारा प्रेरित होपकोम्स जैसी सहकारी समितियों या विदेशी मॉल में से कौन किराने की दुकानों, छोटी दुकानों और सड़क पर लगने वाले ठेलों को कौन नुकसान पहुंचाएगा।

खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश से देश में बड़े पैमाने पर मॉल शुरू हो जाएंगे। छोटे दुकानदार और सड़क पर लगने वाले ठेले घर के करीब होते हैं जबकि बड़े मॉल दूर होते हैं। इसलिए, लोगों को घर के करीब खरीदारी का लाभ छोटी दुकानों और ठेलों से ही मिल सकता है। रोजाना सब्जियों और फलों को खरीदना हो तब यह महत्वपूर्ण हो जाता है। काफी कम समय में कुछ चीजें ही खरीदनी हों तो उपभोक्ताओं के लिए किराना की दुकानों से ही सहूलियत होती है। जब तत्काल खरीदने की जरूरत हो तब लोग मॉल या स्टोर में जाने बजाय, लोग पास की किराने की दुकानों पर जाना पसंद करते हैं।

हालांकि, मॉल या स्टोर भारी खरीद पर छूट प्रदान करते हैं। इसके

अलावा, बड़े मॉल के लिए बड़ी जगह की जरूरत होती है जो भारत जैसे बड़े देश में मिलना एक कठिन काम है। मॉल घर से दूर होता है और खरीदने के लिए वहाँ जाना होता है। दूसरी तरफ होपकोम्स जैसी सहकारी समितियां मोबाइल स्टोर को किसी भी इलाके में ले जा सकती हैं और दुकानें के व्यवसाय को मार सकती हैं। सहकारी समितियों को सरकारी सब्सिडी मिलती है जिससे वे नुकसान को सहन कर सकती हैं, लेकिन यह बड़े मॉल के लिए संभव नहीं है।

खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश से छोटी दुकानों के अदृश्य होने की बहुत कम संभावना है यह भी समझने की क्या जरूरत है कि खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश की क्या जरूरत है और उससे क्या लाभ होगा। हमारा अनुभव है कि मुद्रास्फीति की दर पिछले कुछ वर्षों से लगातार बढ़ रही है। हमारी आय भी बढ़ती जा रही है, लेकिन कीमतें भी बढ़ रही हैं। इससे उपभोक्ताओं के हाथों में क्रय शक्ति वाली आय में कमी आई है, और इसलिए प्रति व्यक्ति खपत कम हो जाती है।

उच्च मुद्रास्फीति का एक कारण यह है कि बिचौलिये किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को उचित भाव प्राप्त नहीं होने देते। इस तरह वितरण का ढांचा अक्षम है। हर साल परिवहन व्यवस्था, भंडारण और बिक्री सुविधाओं के अभाव के कारण लगभग 60,000 करोड़ रु. का नुकसान होता है। हालांकि, खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश के आने से इस स्थिति में बदलाव हो सकता है और वितरण का बुनियादी ढांचा और अधिक कुशल हो सकता है। बड़ी मॉल कंपनियों को अपने देशों में वितरण के विशाल नेटवर्क को चलाने का अनुभव होता है, इसलिए यह संभव है।

वे किसानों से सीधे संपर्क कर सकते हैं, इस प्रकार बिचौलियों को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है, जो वितरण के पूरे ढांचे में अक्षमता का मूल कारण है। वे किसानों को खेती के नए तरीकों के बारे में तकनीकी सहायता भी प्रदान करते हैं।

उदाहरण के भारत में भारती-वॉलमार्ट द्वारा पंजाब में 1200 किसानों से सीधे खरीद की जाती है, और वे किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि व्यवस्था में सुधार में मदद करते हैं। वितरण के ढांचे में जो नुकसान होता है उसे कम करने से लंबे समय में बड़ी मदद होगी। बड़ी कंपनियों को यह जिम्मेदारी सौंपना एक अच्छा कदम है क्योंकि वे बड़े आकार के सभी लाभ प्राप्त कर सकते हैं और लागत काफी कम कर सकते हैं। इसके कारण अंत में उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें कम होंगी।

जो खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश के विरोधी हैं, उनका तर्क है कि विदेश मॉल प्रतिस्पर्धा को खत्म करने के लिए कीमतें बेहद कम रखेंगे और असंगठित क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा खत्म होने पर पिछले नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए कीमतों में वृद्धि करेंगे। बिग बाजार और रिलायंस दोनों वर्तमान में छोटी दुकानों के साथ मौजूद हैं। बड़े पैमाने पर विदेशी कंपनियों के मॉल आने पर भी वे रहेंगे, नहीं रहेंगे ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। एक बड़ी संभावना यह है कि छोटे व्यापारी अपना माल उचित कीमतों पर इस व्यापार चैनल से खरीदें और ग्राहकों को वह माल घर के पास में दे जिससे ग्राहकों को खरीद करने के लिए दूर नहीं जाना पड़े। छोटे दुकानदार कभी गायब नहीं होंगे।

(स्रोतः डेक्कन हेराल्ड, 21/01/2013)

खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश का विरोध तर्कविहीन

- हेमन्तकुमार शाह, एच.के. आर्ट्स कॉलेज, अहमदाबाद।

मनमोहन सिंह की सरकार ने आर्थिक सुधारों के नाम पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को, विशेष रूप से खुदरा व्यापार के क्षेत्र में 51 फीसदी विदेशी इक्विटी पूंजी के साथ अनुमोदन के लिए जो निर्णय लिया है उससे देश के राजनीतिक क्षेत्र में हलचल मच गई है। यह

बताया गया है कि अगर वॉलमार्ट और टेस्को जैसी विदेशी कंपनियों के मॉल भारत में खुलेंगे तो भारत के खुदरा व्यापारियों के बारह बज जाएंगे। क्या ये आशंकाएं वास्तव में सच हैं? इसके अलावा, क्या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से ही खुदरा व्यापार के क्षेत्र में समस्याएं पैदा हो जाएंगी?

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का मतलब उस निवेश से है जिसमें विदेशी कंपनी भारत में किसी माल या सेवाओं के उत्पादन या बेचने के लिए निवेश करती है। भारत में इस निवेश को बढ़ाने के लिए 1991 के बाद भारत में विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे विशेष रूप से खोले गए थे।

अगर अब यह कहना हो कि खुदरा व्यापार (रिटेल) के क्षेत्र में विदेशी निवेश बुरा है तो यह कहना पड़ेगा कि जिन क्षेत्रों में विदेशी निवेश हुआ है वह सब कुछ बुरा है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र यदि विदेशी निवेश से क्षति होगी तो वह एक सी ही होगी। भारत में दिसंबर-2011 में 3050 विदेशी कंपनियां थी जिन्होंने विविध वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन या बेचने के लिए पूंजी निवेश किया हुआ है।

यह समझना चाहिए कि मूल बात यह है कि खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश का जो विरोध करते हैं वे सभी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विरोध नहीं करते है। क्या वे पेप्सी या कोका कोला या फोर्ड या सुजुकी इंडिया जैसी कंपनियों को भारत से निकालने के लिए सहमत होंगे? नहीं, नहीं होगा। इस प्रकार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए विरोध नहीं है परंतु खुदरा व्यापार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आने का है। मनमोहन सिंह की सरकार ने खुदरा व्यापार के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को 51 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति दी है। अभी भी 49 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है ही, और वॉलमार्ट सहित विदेशी कंपनियां भारत में 49 प्रतिशत इक्विटी पूंजी के साथ भारती जैसी स्वदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम शुरू किया हुआ है। इसलिए अगर आप विदेशी मॉल का विरोध करते हों तो वे अभी भी हैं उनका विरोध भी करो।

जो मामला है वह 49 प्रतिशत और 51 प्रतिशत विदेशी इक्विटी पूंजी का है। यह बात ठीक से समझाते हैंः जैसे छगन विदेशी है और उसके 49 रुपये का और मगन देशी है और उसके 51 रुपये का पूंजी निवेश है। दोनों ने मिलकर मॉल शुरू किया। इस कारोबार में 100 रुपये का लाभ हो तो विदेशी छगन को 49 और देशी मगन 51 रु. मिलेंगे।

मनमोहन सिंह की सरकार अब विदेशी छगन को 51 रुपये के निवेश की अनुमति देती है। तो विदेशी छगन 51 रुपये और स्वदेशी मगन 49 रु निवेश करेगा। अब जो 100 रु. का लाभ होगा उसमें से विदेशी छगन को 51 रु. का लाभ और स्वदेशी मगन को 49 रूपये के लाभ मिलेगा। तो छगन पहले की तुलना में दो रूपए अधिक लाभ विदेशी ले जाएगा। जो लोग वॉलमार्ट जैसी विदेशी कंपनियों का विरोध करते हैं उन्हें इस दो रुपए से क्या दिक्कत है वह बात समझ में नहीं आती। यदि उनको सवाल उठाना ही हो तो जो वे अपनी कंपनियों द्वारा 49 रुपये विदेशों में ले जाते हैं उस पर उठाना चाहिए।

इसके अलावा, छोटे व्यवसायों को नुकसान होगा अब यह कहना भी विचित्र है। एक मॉल में वॉलमार्ट का निवेश 49 प्रतिशत हो तो छोटे व्यवसायों को नुकसान नहीं होगा और अगर निवेश 51 प्रतिशत हो तो नुकसान कैसे होगा? यदि छोटे व्यवसायों को नुकसान हो भी तो अब खुदरा व्यापार के क्षेत्र में कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश के द्वारा भी होता है। तो इन्हें तुरंत बंद किया जाना चाहिए। लेकिन कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं कहता।

एक तर्क उपभोक्तावाद के बारे में दिया जाता है। उपभोक्तावाद मॉल संस्कृति को प्रोत्साहित करता है, लोगों को अनावश्यक आइटम खरीदने के लिए प्रेरित करता है, आदि तर्क दिए जाते हैं। इस

मामले में कितना तथ्य है उसे सत्यापित करने की जरूरत है। हालांकि किसी व्यक्ति को जरूरत नहीं होगी तो क्या वह चॉकलेट, आलू, जूते, घड़ियां, आदि की खरीद करके अपने घर पर ढेरी लगाएगा?

यह उपभोक्तावाद उग्र है इससे इनकार नहीं है, लेकिन इसके लिए मॉल और वह भी विदेशी कंपनियों के मॉल जिम्मेदार हैं कहना ज्यादती होगी? लेकिन सवाल यह भी है कि क्या विदेशी कंपनियों के मॉल या स्टोर खराब और घरेलू कंपनियों के मॉल या स्टोर अच्छे होते हैं? विदेशी कंपनियों के मॉल से छोटे व्यवसायों को नुकसान होता है, और स्वदेशी कंपनियों के मॉल से नुकसान नहीं होता? रिलायंस, एयरटेल, भारती, बिड़ला आदि स्वदेशी कंपनियों के मॉल या स्टोर के खिलाफ राजनीतिक दलों में विरोध क्यों नहीं है? छोटे व्यापारियों की पैरवी करने वालों को ये सभी मॉल बंद करवा देने चाहिए।

बिग बाजार के 161, रिलायंस के 1200, शॉपर्स स्टॉप के 47, ईजी-डे के 195, स्पेन्सर्स के 188 और बिरला-मोर के 500 स्टोर वर्तमान में भारत में कार्यरत है। उनके कई स्टोर ऐसे राज्यों में हैं जो इस समय मल्टीब्रांड रिटेल में विदेशी निवेश का विरोध कर रहे हैं। जैसे, इन राज्यों में ये स्टोर क्रमशः 69, 556, 28, 44 44, और 252 हैं। इन राज्यों में अध्ययन करने की जरूरत है कि उनके वहाँ इतने स्टोर हैं तो क्या छोटी दुकानें बंद कर हो गई या नहीं और हुई तो कितनी? यदि छोटी दुकानें बंद हो गई हों तो फिर वे अपने यहां स्टोर क्यों चलाने देते हैं?

भारत में मॉल संस्कृति की शुरूआत 1995 से हुई थी। 1998 से 2004 तक, भाजपा के नेतृत्व वाली राजग की अटलबिहारी वाजपेयी की सरकार थी। इसी अवधि के दौरान भारत में 50 से अधिक मॉल शुरू किये गये थे। अब भाजपा, राजग और अन्य राजनीतिक दल किस मुंह से मॉल का विरोध कर रहे हैं? क्या उन्हें अब ब्रह्मज्ञान हुआ है कि उनके पहले के निर्णय गलत थे और उन्हें लगता है कि यह उनकी गलती थी? अगर सच में ऐसा लगता हो तो उसे घोषित किया जाना चाहिए।

यदि भाजपा और राजग और अन्य राजनीतिक दल विदेशी निवेश के लिए विरोध कर रहे हैं तो भी यह एक अजीब बात है। सभी राजनीतिक दलों की राज्य सरकारों ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी है। कुछ मुख्यमंत्री तो विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए विदेश यात्रा भी कर रहे हैं अतः ऐसा कहा जा सकता है कि उनके पास कोई नैतिक तर्क नहीं है। इसके अलावा, इस मुद्दे का एक वैश्विक पहलू भी है।

1995 में, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) स्थापित किया गया था। उसमें सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता (गेट्स) शामिल था। इस समझौते के तहत 12 मुख्य सेवाओं और उसकी लगभग 165 उप सेवाओं के प्रकार शामिल हैं। इन सेवाओं के व्यापार को भारत को आज नहीं तो कल मुक्त करना ही होगा, क्योंकि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है। खुदरा व्यापार 165 सेवाओं में से एक सेवा है। तो अगर भारत में खुदरा व्यापार विदेशी निवेश नहीं चाहिए तो भारत को 'विश्व व्यापार संगठन' में से इस्तीफा देना पड़ेगा। सच में कोई भी राजनैतिक पार्टी क्या इसके के लिए तैयार है?

यह डर दिखाया जाता है कि मॉल से छोटी व्यापारियों की दुकानें बंद हो जाएंगी। मॉल के कारण बहुत कम छोटे व्यापारियों की दुकानें बंद होंगी। दूसरी ओर, पूरे देश में दर्जनों मॉल बंद होने के उदाहरण हैं। जैसे, अहमदाबाद में सुभिक्षा, मोर, अदानी, पिरामिड जैसे मॉल या स्टोर बंद हो गए। गेलोप्स जैसा बड़ा मॉल भी बंद हो गया और रिलायंस मॉल को भी अपना आकार कम करना पड़ा। कंपनियों के मॉल या स्टोर को संगठित खुदरा बाजार कहा जाता है। भारत में वर्तमान में यह बाजार का केवल 4 प्रतिशत हैं। उदारीकरण के 17 साल के बाद भी मॉल या स्टोर की यह स्थिति हो तो छोटे कारोबारियों को घबराने की जरूरत कहां है?

हालांकि, भारत सरकार का दावा है कि विदेशी कंपनियों द्वारा मॉल में निवेश करने से रोजगार में वृद्धि होगी इसमें भी कोई खास दम नहीं है। उनके दावे बहुत बड़े हैं। यह दावा भी किया गया है कि अगले पांच वर्षों में एक करोड़ नौकरियों पैदा होंगी। देश में वर्तमान में कुल 2291 मॉल या स्टोर हैं।

इसमें जिनको सीधे रोजगार मिलता है उनकी औसत संख्या 100 मानी जाए तो उनमें 2,29,100 लोगों को रोजगार मिला है। जबकि देश में छोटे व्यापारियों के करीब 5 करोड़ होने का अनुमान है। यह दावा गलत है कि विदेशी कंपनियों द्वारा मॉल में अधिक निवेश करने से मॉल में काफी रोजगार पैदा होंगे। यह याद रखना चाहिए कि मॉल संस्कृति में स्वचालन है। विरोधी पक्ष द्वारा यह डर दिखाया जाता है कि छोटे व्यापारियों का रोजगार चला जाएगा और वे बड़ी कंपनियों के कर्मचारी बन जाएंगे वह भी सच है नहीं है। किस छोटे व्यापारी को अपना व्यापार बंद करके मॉल में काम के लिए मजबूर होना पड़ा है? जो मॉल में काम करते हैं वे सभी तो युवक और युवतियां हैं! इसके अलावा, यह तर्क भी दिया जाता है कि विदेशी कंपनियों के मॉल में शोषण में वृद्धि होगी। अभी भी युवा कर्मचारियों का स्वदेशी मॉल शोषण कर रहे हैं। उनसे बारह-बारह घंटे काम लिया जाता है और 3000 रुपये से 5000 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है। कोई भी राजनीतिक दल इस शोषण के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहा है?

कुल मिलाकर, यह लगता है कि मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा खुदरा व्यापार के क्षेत्र में 51 प्रतिशत विदेशी निवेश की स्वीकृति का विरोध तो वास्तव में विरोध की खातिर विरोध लगता है। यदि खुदरा व्यापार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विरोध करना हो तो, सभी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का विरोध करना चाहिए और अगर विदेशी मॉल का ही विरोध करना हो तो सभी देश-विदेशी मॉल का विरोध करना चाहिए, क्योंकि नुकसान होगा तो दोनों से एक जैसा ही होगा, और कोई राजनीतिक दल इसके लिए तैयार नहीं है।

बेहतर शासन के लिए प्रशासनिक सुधार

शासन एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है क्योंकि यह जरूरी है कि गरीबी दूर करने के लिए अच्छा शासन हो। इस संदर्भ के साथ इस पुस्तक में लिखा गया है। यह किताब मूल रूप से सरकारी प्रणाली जो प्रशासनिक सुधार आवश्यक हैं उनकी तरफ संकेत करती है। सिविल सेवाओं में काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों में जो कमियां मौजूद हैं उनका उल्लेख इस लेखक ने विस्तार से किया है और उसकी सख्त आलोचना की है और उसी ने उपायों का वर्णन भी किया है वे भी काफी उत्तेजना पैदा करते हैं।

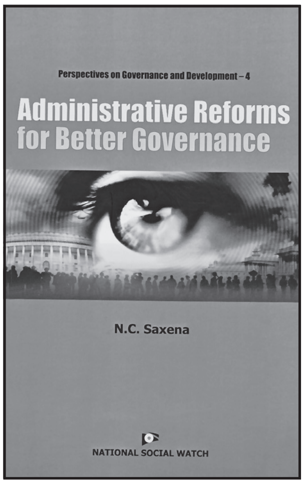

लेखक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आईएएस अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी गरीबों के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। उसने सामाजिक क्षेत्र के लिए वित्तीय आवंटन बढ़ाने के लिए और राज्यों को दिए जाने वाले धन को निष्पादन के साथ जोड़ने को कहा है। प्रशासनिक सुधारों में उन्होंने एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह बताया कि कानून और प्रक्रियाओं को आसान होना चाहिए। लेखक यह बताते हुए कहते हैं कि प्रशासन में कभी-कभी ऐसी स्थितियां आती हैं तब दायित्व तय कर पाना मुश्किल हो जाता है, साधारण कार्यों के लिए भी अनेक प्रकार के अनुमोदन लेना आवश्यक हो जाता है। बड़ी कंपनियों के लिए उदारीकरण हुआ है, लेकिन छोटे व्यवसायों को अवैध माना माना जाता है और आवासीय भवनों उत्पादन की प्रक्रिया को अवैध माना जाता है! सरकार को प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ानी चाहिए और प्रणाली को अधिक उत्तरदायी बनाना चाहिए ऐसा कहते हुए लेखक कई अन्य सिफारिशों के साथ यह भी सिफारिश करते हैं कि प्रत्येक सरकारी कार्यालय के लिए नागरिक चार्टर बनाया जाना चाहिए ताकि नागरिकों को सार्वजनिक सेवाएं समय पर मिल सकें। इसके अलावा, ऐसे कानूनों और विनियमों की समीक्षा के लिए एक समिति नियुक्ति करके उनमें वे तत्काल सुधार की जरूरत है।

लेखकः एन.सी. सक्सेना। प्रकाशकः नेशनल सोशल वॉच, आर - 10 (जी.एफ.), ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली -110016.

वादा नहीं तोड़ें अभियानः नया विकासात्मक एजेंडा

'वादा नहीं तोड़ें' अभियान सरकार को गरीबी, सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव को दूर करने के उसके वादे के बारे में जवाबदेह बनाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान है। उसने 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो सहस्राब्दि विकास लक्ष्य तय किये गए थे, उनकी उपलब्धि कहां तक पहुंची उसके बारे में काम करने और सरकार की ओर से जिम्मेदार व्यवहार करने को प्रोत्साहित करने के लिए कार्रवाई की है। उसने इस संबंध में जो एजेंडा वर्तमान स्थिति के संदर्भ में तैयार किया है उसका विवरण यहाँ संक्षिप्त में दिया गया है।

प्रस्तावना

सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य 2015 है। इसके बाद विकास का एजेन्डा क्या हो, इस बारे में वैश्विक स्तर पर बहस गति पकड़ रही है। इस चर्चा में पिछले एक दशक के दौरान किए गए प्रयासों से मिले सबक के बारे में सरकार को विचार करने के लिए एक अवसर प्रदान करते हैं। इसके साथ असहाय और वंचित समुदाय हाल की नई चुनौतियों को सहन कर रहे हैं उनके बारे में भी अवसर प्रदान करते हैं। भारत के संदर्भ में 2015 के बाद क्या हो यह निर्धारण करने के लिए अधिक संवाद करने की जरूरत है। सक्रिय और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है जिससे भारत और विश्व स्तर पर नए विकास के एजेंडे प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जा सके।

भारत ने खुले दिल से सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को स्वीकार किया था। इन्हें प्राप्त करने के लिए 2005 में राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को तैयार किया गया था। 2004 में गठित सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में भी इसका उल्लेख किया गया था। इन लक्ष्यों को हासिल करने के भारत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। विशेष रूप से बेहद गरीबी में रहने वाले लोगों के अनुपात में कमी की भारत की उपलब्धि को ध्यान में लिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधानों को भी नोट किया गया है। ये कार्यक्रम व्यापक संख्या में लोगों तक पहुँचने वाले और महत्वाकांक्षी सामाजिक कार्यक्रम बन गए हैं। हालांकि, भारत में असमानता में वृद्धि हुई है। 1990 के दशक में, कम वेतन कमाने वालों और उच्चतम वेतन कमाने वालों के बीच अंतर छह गुना था, जो अब 12 गुना है। 2009 में गैर - कृषि क्षेत्र में वेतन रोजगार में महिलाओं का योगदान 18.6 प्रतिशत था, जो पिछले पांच वर्षों में केवल 5 प्रतिशत बढ़ा है। इस प्रकार, गरीबी और असमानता को कम करने वाली चुनौतियां काफी बड़ी हैं।

भारत में भी 2015 के बाद क्या होगा में, उसके बारे में बातचीत की गति तेजी पकड़ रही है। इस संदर्भ में, संभावित वरीयताओं पर विचार कर सकते हैं। भारत में सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों के बारे में सार्वजनिक और राजनीतिक राय गठन के लिए एक अभियान 'वादा न तोड़ो' आगे रहा है। भारत में गरीबी और असमानता घटाने वाली जैसी चुनौतियां जितनी बड़ी हैं उतनी ही पूरी दुनिया के विकास एजेंडे में योगदान करने के चुनौती भी भारत को झेलनी है। इस संदर्भ में विकास के नए एजेंडा बनाने की प्रक्रिया को निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए:

सिद्धांत

१. समुदायिक अनुभव और अपेक्षाओं का संकलन

समुदायों की सूझबूझ प्रवृत्ति और आकांक्षाओं को इस प्रक्रिया के केंद्र में होना चाहिए। विकास के नए लक्ष्यों का निर्धारण करते समय उनकी सफलताओं और असफलताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। विशेष रूप से महिलाओं और सामाजिक रूप से वंचित अन्य समूहों को विकास के एजेंडे को निर्धारित करने के लिए शामिल किया जाना चाहिए। इससे स्थानीय रूप से प्रासंगिक और जवाबदेह एजेंडा निर्धारित किया जाएगा।

२. नागरिक समाज की आम सहमति

नागरिक समाज के संगठनों की जो उम्मीदें हैं उन्हें पता करने

के लिए व्यापक बातचीत की जानी चाहिए। महत्वपूर्ण विषयों और रणनीतियों के बारे में आम सहमति पैदा होना जरूरी है। नए विकास के एजेंडे का निर्धारण करने के बाद उन्हें समर्थन करने और प्रक्रिया की निगरानी करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

३. अनुसंधान और विश्लेषण का समर्थन

नीति क्षेत्र के विशेषज्ञों और शैक्षणिक संस्थानों इसमें शामिल करना महत्वपूर्ण है। पिछले एक दशक के दौरान गरीबी और असमानता से लड़ने में विभिन्न देशों के जो अनुभव रहे हैं वे महत्वपूर्ण हैं और उनके बारे में शोध और आदान-प्रदान होना चाहिए।

४. नीति निर्धारकों तक पहुंच

नागरिक समाज को संगठनों, सामुदायिक समूहों और विद्वानों के बीच जो विचार-विमर्श हो उसका इस्तेमाल पैरवी के लिए किया जाए और विकास की नीतियों के लिए काम लगे। सरकारी संगठनों और मंत्रालयों को इसमें शामिल किया जाए। स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों और समुदायों के बीच बातचीत होने की जरूरत है।

५. विश्व स्तर की पैरवी के प्रयासों को समर्थन

विभिन्न देशों की सरकारों और विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों के बीच बातचीत होनी चाहिए। पैरवी की प्रक्रिया संयुक्त हो और विकास के एजेंडे को प्रमुख तत्वों को शामिल करने वाली हो वह महत्वपूर्ण है।

६. लोगों की भागीदारी

जवाबदेही के लिए एक व्यापक माहौल बनाने के विशेष प्रयास करने होंगे। युवाओं और शहरीजनों को भी शामिल करना होगा, और मीडिया में विकास के एजेंडे के बारे में अभियान चलाने के लिए प्रयास करना होगा।

७. कंपनियों का उत्तरदायित्व

निजी क्षेत्र और विकास एजेंडा दो परस्पर विरोधी बातें हैं। इसके बावजूद विकास को प्राप्त करने के लिए कंपनी क्षेत्र की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। इस संबंध में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और विनियामक ढांचे के बारे में भारत में जो बातचीत शुरू हुई है वह बातचीत अन्य क्षेत्रों के साथ भी होना आवश्यक है।

पृष्ठ 18 का शेष

अंतिम, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण, नकद राशि की क्रय शक्ति मुद्रास्फीति से आसानी से कम हो जाती है। पेंशन या नरेगा में प्राप्त मजदूरी को सरकार ने मुद्रास्फीति सूचकांक के साथ जोड़ने के लिए मना कर दिया है तब नकद राशि हस्तांतरण को मुद्रास्फीति सूचकांक से जोड़ने के सरकार के वादे पर कौन विश्वास करेगा? अगर ऐसा कुछ कम ज्यादा होगा भी तो उसमें थोड़ी सी देरी होगी, लेकिन वह भी मुद्रास्फीति की दर की सूचना मिलने में देरी के कारण हो सकता है। इसके कारण गरीबों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा होगी।

कोटकासिम में जो असफलता मिली वह भी नकद भुगतान परियोजना के संभावित घातक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह सफल प्रयोग बड़े उत्साह के साथ किया गया था, और इसे बिना जांच और बहस के तुरंत सफल प्रयोग माना गया था। इसके पीछे कारण यह है कि केरोसीन सब्सिडी लागत 60 फीसदी घट गई थी। लेकिन वास्तव में, मुख्य कारण था कि केरोसीन वितरण की समग्र प्रणाली ही भंग हो गई थी।

एक ऐसी धारणा बनायी गयी है कि सरकार 2014 के चुनाव से पहले नकद सहायता प्रदान करने की योजना आधार कार्ड के आधार पर बना बड़े पैमाने पर बना रही है। यह बहुत भ्रामक है और अधिकांश लोग आधार कार्ड बनवा लें उस कोशिश का एक भाग है। इस घोषणा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाने की सरकार की जो विफलता है उससे ध्यान कहीं और हटाने का है, यह सही है कि खाद्य सुरक्षा विधेयक काफी कमजोर है, लेकिन वह भी एक वर्ष से स्थायी समिति के पास पड़ा है। इस बीच अनाज का भंडार अभूतपूर्व रूप से बढ़ता जा रहा है। यह समय की मांग है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया जाए, और आधार कार्ड आधारित नकद हस्तांतरण की ओर आगे न बढ़ा जाए।

एकता की अर्थव्यवस्था

दुनिया भर में पारंपरिक अर्थशास्त्र के बारे में जो मान्यताएं और सिद्धांत मौजूद हैं, उसके बजाय जो बड़ी अनौपचारिक या अवधिक अर्थव्यवस्था अस्तित्व में है उसके बारे में व्यापक रूप से सोचने की जरूरत है। उसे एकता की अर्थव्यवस्था और कई अन्य शब्दों के प्रयोगों के द्वारा जाना जाता है। इस बारे में चल रही बहस में शामिल होने के लिए वीमन इन इनफॉर्मल एम्पलॉयमेन्टः ग्लोबलाइजिंग एन्ड ऑर्गेनाइजिंग (वीगो) की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए जून-2012 में इटली में बेलाजियो में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी था। इसमें मेलानी सेमसन द्वारा पेश किए गए एक अध्ययन पत्र के अंश यहां दिए गए हैं।

एकता की अर्थव्यवस्था के सिद्धांत और अवधारणाएं

मोलीर्ट और एलिनेइना के मतानुसार सामाजिक अर्थव्यवस्था, तृतीय क्षेत्र, एकता की अर्थव्यवस्था या वैकल्पिक अर्थव्यवस्था, गैर-आकर्षक अर्थव्यवस्था, स्वयंसेवी क्षेत्र, आदर्शवादी क्षेत्र जैसे शब्दों का प्रयोग पर्याय के रूप में किया जाता है। विशेष रूप से सामाजिक अर्थव्यवस्था, तृतीय क्षेत्र और एकता की अर्थव्यवस्था अक्सर एक दूसरे के लिए उपयोग होने वाले शब्द हैं। इस प्रकार, विभिन्न देशों के बीच उनके अर्थ में जो मतभेद हैं उन्हें अनदेखा किया जा सकता है। इस प्रकार, विभिन्न देशों में विभिन्न लोगों और समूहों द्वारा अलग शब्दों का उपयोग किया जाता है।

फेलिप एलाइज द्वारा 1939 में इकोनोमिया सोलिडेरिया शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने स्पेन के गृह युद्ध के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच एकता की अर्थव्यवस्था का आह्वान किया था। 1980 के दशक में, एक बार फिर, फ्रांस और दक्षिण अमेरिका में एकता की अर्थव्यवस्था के लिए आह्वान करना शुरू किया।

सामाजिक अर्थव्यवस्था पूंजीवाद में बदलाव के बजाय पूरक बनना चाहती है, जिससे एकता की अर्थव्यवस्था की अवधारणा और अधिक अनुकूलन दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है। ब्राजील में पूंजीवादी श्रम संबंधों का विकल्प खोजने और रोजगार संकट का सामना करने के लिए 1980 के दशक के मध्य में एकजुटता की अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा शुरू हुई थी। ब्राजील में वर्कर्स पार्टी के नेताओं और बुद्धिजीवियों द्वारा 1996 में पहली बार एकता अर्थव्यवस्था शब्द का प्रयोग किया था।

सामाजिक पूंजीवादी सौदा विगो द्वारा मसौदे के रूप में जो लेख प्रस्तुत किया गया था उसमें लेविनास परेरा डी मेलो और मार्टिन्स ने यह बताया कि ब्राजील में एकता की अर्थव्यवस्था ने आर्थिक और सामाजिक प्रणाली के लिए विविध और व्यापक ढांचे के रूप में समझा जाता है जिसमें वस्तुओं के उत्पादन की सामूहिक गतिविधियों, सेवाओं के प्रावधानों, एकता के आधार पर क्रेडिट विनिमय, निष्पक्ष व्यापार और एकता के आधार पर उपभोग शामिल है। इन प्रयासों का सर्वमान्य लक्षण श्रम पूंजीवादी संगठन - जिसमें वेतन कमाना ही महत्वपूर्ण होता है' के संभावित वकिल्प के रूप में स्थापित किया जाना है।

पॉल सिंगर का मानना है कि एकता की अर्थव्यवस्था में जो प्रमुख सिद्धांत हैं उसमें सहयोग, समानता, लोकतंत्र स्वसंचालन, एकता, भागीदारी, उत्पादन के साधनों का सामूहिक स्वामित्व और इसमें शामिल लोगों के बीच मुनाफे का विभाजन होता है। सिंगर यह मानता है कि एकता की अर्थव्यवस्था में भूमिकाओं का विभाजन और विशेष पदों की आवश्यकता होती है लेकिन उन्होंने तर्क दिया है कि इसके बावजूद निर्णय इस तरह लिये जा सकते हैं कि जिसमें सामान्य हित प्रतिबिंबित हो।

सिंगर के अनुसार, एकता की अर्थव्यवस्था में उत्पादन और वितरण प्रणाली उत्पादन की पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ है क्योंकि उत्पादन के साधनों का समाजीकरण होता है और यह पूंजी के मूल्यों के

विपरीत मूल्यों पर आधारित है। वे कहते हैं कि एकता की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में स्थिति में सुधार करने में मदद करती है और पूंजीवाद का प्रगतिशील विकल्प प्रस्तुत करती है। उनके अनुसार एकता की अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य गरीबी दूर करना है। इसके अलावा, वे बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य करते हैं। जैसे, वे व्यक्तियों को सिखाने, विकास और परिपक्व बनाने में मदद करते हैं और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देते हैं। सिंगर का यह भी मानना है कि एकता की अर्थव्यवस्था पूंजीवाद का अतिक्रमण कर सकती है।

हालांकि, कुछ लोग पूंजीवादी नौकरियों की सुरक्षा और स्थिरता चाहते हैं, लेकिन इन नौकरियों में भी स्थिति में बिगड़ रही है। एकता की अर्थव्यवस्था काम की ऐसी जगह चाहती है कि वह अधिक अच्छी हो और वियोजन पैदा नहीं करे। ऐसे कई लोग हैं, जो सामूहिक रूप से और अधिक समान तरीके से काम करना चाहते हैं, उसे मूल्यवान बात मानते हैं, और एकता अर्थव्यवस्था में जो लोग प्रवेश करते हैं वे मजबूरी में वहां जाते हैं, लेकिन अंततः यह उन्हें पसंद आ जाता है।

सिंगर का मानना है कि लोगों को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और एकता की अर्थव्यवस्था में काम करने के लिए चुनाव करने दिया जाना चाहिए। वे यह नहीं कहते कि पूंजीवाद को नष्ट किया जाना चाहिए, लेकिन उसका स्वाभाविक रूप से त्याग करना चाहिए क्योंकि अधिक से अधिक लोग को एकता की अर्थव्यवस्था में काम करना पसंद करेंगे।

एकता की अर्थव्यवस्थाः अमेरिकी मत

ऐथान मिलर से पता चला है कि पारंपरिक अर्थशास्त्र वास्तविकता का वर्णन इस तरह करता है कि जिससे सभी लेनदेन, पहल, मानव संबंध और मंशा अदृश्य हो जाते हैं, और आर्थिक विकल्पों की अवधारणा के बारे में हमारी कल्पना क्षमता को सीमित कर देता है। अर्थात् एकता की अर्थव्यवस्था के साथ मिलकर कुछ मूल्यों को शामिल करता है। इन मूल्यों में पारस्परिकता और सहयोग शामिल हैं। इनमें लोगों द्वारा अपने व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण, आर्थिक और सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, विविधता और बहुवाद के बारे में निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

मिलर का मानना है कि लोग इन मूल्यों को स्वीकार करें तो भी बहुत कम लोग इसे पूरी तरह हासिल करते हैं। इसमें वे सब शामिल होते हैं जो उसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं।

स्ट्रीटनेट और सामाजिक एकता की अर्थव्यवस्था

तीसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में स्ट्रीटनेट द्वारा सामाजिक एकता की अर्थव्यवस्था के बारे में एक संकल्प पारित किया गया था। इस संकल्प में बताया गया कि अल्प विकसित देशों अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का क्षेत्र बढ़ रहा है और कहा गया कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र में लारी-गल्ला वालों या स्व रोजगारी प्राप्त करने वाले मजदूर जो विपरीत स्थिति में काम करते हैं फिर भी अपनी अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

यह अर्थव्यवस्था बेरोजगारी का सामना करने में, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) लाने में और सामाजिक स्थिरता लाने में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। यह एक नए आर्थिक क्षेत्र का निर्माण है जिसमें सामाजिक जवाबदेही, उद्यमशीलता और एकता के मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित है, और यह लोकतांत्रिक और आर्थिक नागरिकता के विकास के लिए महत्वपूर्ण है ।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन सामाजिक और एकता की अर्थव्यवस्था जैसे शब्दों का प्रयोग करता है। यह कहता है कि इस तरह की अर्थव्यवस्था ऐसे संगठन और उद्यम हैं जो एकता और भागीदारी के सिद्धांतों पर आधारित हैं और जो आर्थिक और सामाजिक दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करने के साथ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। ऐसे सहकारी मंडल, पारस्परिक लाभ वाले मंडल, या सामाजिक उद्यम सामाजिक आर्थिक या दोनों क्षेत्र में सक्रिय होते हैं। इस तरह के संगठन ऐसे स्वायत्त संगठनों को इकट्ठा करने का लक्ष्य रखते हैं जो अपने सदस्यों या सामुदायिक सेवा को लाभ से पहले रखते हैं और इसमें लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है, फिर भले ही मुनाफे के वितरण के बारे में असहमति क्यों न हो।

शेष पृष्ठ 30 पर

अपनी बात

दिल्ली में गरीबों को नकद राशि देने के प्रयोग का अध्ययन

गरीब लोगों की मदद करने के लिए नगद राशि का भुगतान किया जाना चाहिए या नहीं इसके बारे में दुनिया भर में विवाद है। भारत सरकार ने गरीबों को नकद राशि देने की योजना शुरू की है। सेवा भारत, नई दिल्ली और दिल्ली सरकार द्वारा संयुक्त रूप से दिल्ली के रघुवीरनगर क्षेत्र में जीएनसीटीडी और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की परियोजना के हिस्से के रूप में इस योजना के क्रियान्वयन के बारे में एक साल तक एक प्रयोग किया गया था।

यहाँ इस प्रयोग के परिणाम के बारे में जानकारी दी गई है और इसके आधार पर सिफारिशों का भी वर्णन गया है। गरीबों को नकद राशि देने की योजना जिस तरह और अधिक प्रभावी हो सकती है उसके निर्देश इस अध्ययन से प्राप्त सूचनाओं से मिलते हैं।

प्रस्तावना

भारत में सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाती है। एपीएल, बीपीएल और अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवार इसका का लाभ लेते हैं। हालांकि, सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पैसे आबंटित करती है, लेकिन जिनको इसका लाभ मिलना चाहिए उन्हें पूरी मात्रा में नहीं मिलता है। इससे नुकसान, भ्रष्टाचार होता है और यह अक्षम भी है। इसमें भारी मात्रा में अनाज की काला बाजारी होती है। गरीबों को उचित मात्रा में और अच्छी गुणवत्ता का अनाज कभी नहीं मिलता, यह डी.पी. वाधवा के नेतृत्व में एक केंद्रीय समिति ने अपनी 2007 की रिपोर्ट में कहा था।

इसके परिणाम स्वरूप ही अन्न सुरक्षा के लिए और सामाजिक सुरक्षा के रूप में गरीबों को एक विकल्प रूप में नकद भुगतान की कोशिश की गई है। तथापि, नकद राशि देने के विकल्प से दूसरे प्रकार की चुनौतियों के सामने आने की संभावना है। अर्थात् दिल्ली सरकार और सेवा द्वारा जीएनसीटीडी एवं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की परियोजना के तहत बीपीएल परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनाज के बजाय नकद राशि दी जाए तो उसका जो असर होगा उसका वैज्ञानिक विधि से अध्ययन किया गया है।

पद्धति

इन अध्ययनों की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. पश्चिम दिल्ली के रघुवीरनगर क्षेत्र में जनवरी - दिसम्बर, 2011 के दौरान यह अध्ययन किया गया था।
2. 450 बीपीएल परिवारों में 100 परिवारों का चयन किया गया था जिन्हें नकद राशि दी गई थी। इन 100 परिवारों को राशन की दुकान से अनाज लेने की अनुमति नहीं दी गई।
3. नकद राशि बीपीएल परिवार की महिला के नाम से दी गई थी। इसके लिए पास के बैंक में खाता खोला गया था। हर महीने इस खाते में 1000 रुपये जमा किये गये थे।
4. शेष 350 परिवारों में से 200 परिवारों को नकद राशि नहीं दी गई थी और 150 परिवार अध्ययन में भागीदार नहीं हुए थे।

रघुवीरनगर के गरीब परिवारों का चित्र

रघुवीरनगर के चयनित बीपीएल परिवारों का 10 फीसदी मुस्लिम और सिख थे। बाकी के हिन्दुओं में 55 प्रतिशत अनुसूचित जाति के थे, 19 प्रतिशत अन्य पिछड़ी जाति के थे और 6 फीसदी जन जाति के और 2 फीसदी अन्य थे। 36 प्रतिशत में घरेलू काम वाले, ड्राइवर, हेल्पर, सुरक्षा गार्ड, आदि व्यवसाय वाले थे। ये सभी अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले थे। केवल 1 प्रतिशत आकस्मिक मजदूरी करते थे।

मुख्य निष्कर्ष

१. खाद्य सुरक्षा

यह जाँच की गई कि क्या नकद राशि देने से अनाज खरीदना कम होता है। निष्कर्ष यह है कि नकद राशि देने से परिवारों के लिए खाद्य वस्तुओं की खरीद में कोई कमी नहीं हुई। इसके अलावा, कुछ खाद्य वस्तुओं की खरीद में तो काफी वृद्धि हुई है। इसका मतलब यह है कि नकद राशि देने से खाद्य सुरक्षा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं हुआ।

इसके अलावा, यह पोषणक्षम आहार का चयन करने का विकल्प हासिल हुआ है। दाल, अंडे, मछली और मांस की खपत में वृद्धि हुई। हालांकि, दूध और दूध उत्पादों और सब्जियों की खपत में भी काफी वृद्धि हुई है। जैसे, नकद राशि लेने वाले परिवारों में दालों का औसत खर्च 239 रुपये से बढ़कर 309 रुपये हो गया। दूध और दूध उत्पादों के लिए 690 रुपये से बढ़कर 1004 हुआ, सब्जियों के लिए 532 रुपये से बढ़कर 819 हुआ और अंडे, मांस - मछली के लिए 183 रुपये से 315 हो गया। लेकिन नकद राशि न लेने वाले परिवारों की तुलना में नकद राशि लेने वाले परिवारों में दाल, अंडे और मांस - मछली के लिए काफी अंतर देखा गया है।

२. ईंधन

इन परिवारों ज्यादातर मामलों में खाना पकाने के लिए रसोई गैस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा, वे केरोसीन का उपयोग करते हैं। यह जाँच की गई कि नकद राशि लेने वाले परिवारों में रसोई गैस के इस्तेमाल में वृद्धि हुई है या नहीं। बीपीएल परिवारों को नकद राशि मिलने से वे केरोसीन के बजाय एलपीजी का उपयोग करने लगें वह जरूरी नहीं है। नकद राशि नहीं लेने वाले परिवारों के बजाय लेने वाले परिवारों में परिवर्तन कम आया।

३. स्वास्थ्य

दिल्ली में बीपीएल परिवार स्वास्थ्य के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों सुविधाओं का उपयोग करते हैं। उसने नकद राशि का प्रयोग स्वास्थ्य देखभाल के लिए किया है या नहीं यह भी बताया गया। यह भी बताया गया है कि उन्होंने पाया कि काफी परिवारों ने नकदी मिलने से देखभाल के लिए सरकारी सुविधाओं के बजाए निजी अस्पतालों में इलाज कराना पसंद किया। हालांकि, जिन परिवारों को नकद राशि नहीं मिलती थी उनमें यह परिवर्तन ज्यादा नहीं आया।

४. सस्ते अनाज की दुकानों की कार्य प्रणाली में सुधार

कुछ परिवारों को नकद भुगतान करने का एक असर यह भी हुआ कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार हुआ। प्रारंभ में, 66 प्रतिशत लोगों को सस्ते अनाज की दुकानों की व्यवस्था में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था लेकिन अब उनमें से केवल 44 प्रतिशत को ही समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इस प्रकार सस्ते अनाज की दुकानों की कार्य प्रणाली में सुधार हुआ था।

५. मद्यपान

गरीबों को नकद राशि देने के लिए आम तौर पर तर्क दिया जाता है कि नकद राशि का इस्तेमाल खाद्य पदार्थ खरीदने के बजाय शराब पीने के लिए किया जाएगा। यह पाया गया कि यह सच नहीं है। हालांकि, यह बात उल्लेखनीय है कि नकदी परिवार की महिला और वह भी सीधे उसके बैंक खाते में दी जाती थी। वास्तव में, जिनको नकद राशि नहीं दी गई थी उनके शराब पर खर्च में वृद्धि हुई थी लेकिन जिन परिवारों को नकद राशि दी गई थी उनके शराब पर खर्च में बिल्कुल नगण्य वृद्धि हुई।

६. महिलाओं का सशक्तिकरण

महिला के नाम में उसके बैंक खाते में राशि जमा की गई थी। इससे अपने परिवार के फैसलों में उसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी। बचत, निवेश, और भोजन के लिए नियमित आधार पर खर्च और बच्चों की शिक्षा पर खर्च आदि मामलों में फैसले लेने में महिलाओं की भूमिका बढ़ी थी।

सिफारिशें

खाद्य सुरक्षा के साधन के रूप में नकदी देनी चाहिए या नहीं इसके बारे में भारी विवाद है। हालांकि, यह प्रयोग इसे एक अच्छे विकल्प के रूप में ही नहीं देखता। कई गरीब परिवार नकद राशि में लाभ देखते हैं तो कई परिवार चाहते हैं कि अनाज ही मिले। अधिक प्रभावी और मानवीय तरीका यह है कि बीपीएल परिवारों को नकद या अनाज के बीच चुनाव करने की छूट दी जाए।

साल की शुरूआत में कार्डधारक से पूछा जाए कि उसे नकदी पसंद है या नहीं। यदि हाँ, तो उसे बैंक खाते की आवश्यकता होगी। एक वर्ष के बाद पसंद बदली जा सकती है। चुनाव की छूट दी जाए तो जरूरतों और परिस्थितियों और समझ के अनुसार विकल्प दिया जा सकता है। स्वयं के लिए क्या अच्छा है यह तय करने का ज्ञान गरीबों में है, इसमें नीति विषयक स्वीकृति शामिल है।

उदारीकरण के कारण भारतीय मध्य वर्ग काफी लाभान्वित हुआ है, तो यह उदारीकरण गरीबों के लिए क्यों नहीं? सामाजिक सुरक्षा के विकल्पों में से गरीब परिवारों को चयन के लिए अवसर क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? आज, अपनी सभी कमियों के बावजूद सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही एक सुरक्षा तंत्र के रूप में उपलब्ध है। बिना किसी सक्षम विकल्प के इसे हटाने से भारी रोष का माहौल पैदा होगा। लोगों को अनाज के बजाय नकद भुगतान लेना ही चाहिए यह तो दबाव ही है, क्योंकि कई गरीब परिवार मानते हैं कि अनाज के बजाय मिलने वाली नकद राशि का उपयोग शायद अनाज के लिए उपयोग नहीं हो।

इसके अलावा, गरीबों को चयन की छूट दी जाएगी तो सरकार और उचित मूल्य की दुकानों दोनों की कुशलता बढ़ेगी। नकद राशि भुगतान की जाएगी इस भय से दुकानें अच्छी तरह से चलेंगी और नकद राशि समय पर नहीं मिलेगी तो वे फिर से अनाज की खरीद शुरू कर देंगे। एक अन्य मुद्दा वित्तीय समावेशन का है। शहरी क्षेत्रों में लोगों के बैंक खाते हैं। बैंक में खाता खुलाना बहुत मुश्किल है, और अक्सर यह असंभव हो जाता है।

पृष्ठ 27 का शेष

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का कहना है कि 19 वीं सदी के अंतिम भाग में इसका वर्णन करने के लिए सामाजिक अर्थव्यवस्था शब्द का प्रयोग किया गया था जो स्वैच्छिक और स्वयं सहायता समूहों के कार्यकर्ताओं द्वारा स्थापित किया गया था। ये संगठन औद्योगिक पूंजीवाद और सामाजिक प्रभावों की रोकथाम के लिए थे।

सेवा

सेवा, लोगों के क्षेत्र की पैरवी करती है। उसके कई विचार एकता की अर्थव्यवस्था की अवधारणा से मिलते हैं। लोगों के क्षेत्र में कुछ वर्ग का आधार है और उसमें वैश्वीकरण या बाजार को विनियमित करने की वरीयताओं द्वारा उनका समावेश होता है जो औपचारिक अर्थव्यवस्था के बाहर हैं और जिनका सीमांतीरण हो गया है। जब वे सहकारी समितियों या अपंजीकृत मंडलों में संगठित होते हैं तो लोगों के क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं।

इस अर्थ में, लोगों का क्षेत्र यानि रेनॉना झाबवाला के अनुसार छोटे उत्पादक, व्यापारियों, और सेवा प्रदाताओं का व्यापक व्यवस्था जो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संगठनों की व्यापक संरचना रखते हैं। उनकी राय में, लोगों के क्षेत्र का चालक सिद्धांत पारस्परिकता है। उनके लक्षण में कार्यकर्ताओं द्वारा प्रबंधन और संगठन पर उनका नियंत्रण शामिल है। सेवा का तर्क है कि सार्वजनिक क्षेत्र के आर्थिक फैसले नागरिकता के सिद्धांतों के आधार पर लिऐ जाते हैं, निजी क्षेत्र में क्रय शक्ति के आधार पर निर्णय लिया जाता है, जबकि लोगों के क्षेत्र के (पीपुल्स सेक्टर) में पारस्परिकता महत्वपूर्ण है।

'सेवा' का मानना है कि असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों का भविष्य लोगों के क्षेत्र में है। उन्हें उसमें से लोगों के क्षेत्र में लाने के लिए कई उपाय करने की जरूरत है। जैसे, नए कानूनी ढांचे में इस क्षेत्र को अपनाना, निजीकरण की योजना में इस क्षेत्र की भागीदारी, लोगों के क्षेत्र का समर्थन करने वाली कराधान और वित्तीय नीतियां। हालांकि, सेवा उसे पूंजीवाद का पूर्ण विकल्प नहीं मानती।

अनिल बोरडियाः साक्षरता के मसीहा

- राजेश टंडन

अनिल बोरडिया एक सिविल अधिकारी थे। वे शिक्षा को लोगों तक ले जाने के लिए और हर भारतीय को साक्षर बनाने के प्रति संवेदनशील थे। उनके इस प्रयास में, उन्होंने विद्वदजनों, कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और शिक्षाविदों को जोड़ा जो अन्यथा सरकारी काम से दूर रहते थे। उन्होंने व्यवस्था के भीतर रहते हुए इसे बदलने के लिए और तंत्र के प्रतिगामी रुझान को कम करने के लिए काम किया। वे शिक्षा के पैरोकार और कार्यकर्ता नागरिक अधिकारी थे। उनका 2-9-12 की रात को 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया था तब उन्होंने साक्षरता के लिए सहभागी प्रशिक्षण पद्धति का विकास किया और शैक्षिक सामग्री भी तैयार करवाकर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को मुख्य धारा में ले आए। उन्होंने स्वैच्छिक संगठनों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और बड़े पैमाने में शामिल होने को प्रोत्साहित किया। उस समय ये कदम बहुत खतरनाक थे, लेकिन उन्होंने काफी उत्साह इनको भरा था।

1980 के दशक में अनिल बोरडिया का नाम, शिक्षा में नई बातें लाने वाला बन गया था। शिक्षा में औपचारिक और अनौपचारिक दृष्टिकोण मिश्रित करने में वे अग्रणी थे। उनके अपने प्रयासों के कारण ही राजस्थान में महिला सामख्य की शुरूआत हुई थी और फिर अन्य राज्यों में उसका आरंभ हुआ जो ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण था। यह ऐसा पहला सरकारी कार्यक्रम था जिसमें केवल महिला कार्यकर्ताओं को ही बड़े पैमाने पर शिक्षक बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। जब भी जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, और स्थानीय कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न होता और धमकी मिलती थी तब वे बोरडियाजी का संपर्क करते थे और वे चुपचाप समस्याओं का हल निकालते थे। उनके कैरियर का सबसे महत्वपूर्ण समय 1987-92 था जब वे भारत सरकार के शिक्षा सचिव थे। शिक्षा नीति के बारे में उन्हें भेजे सभी लोगों के विचार को उन्होंने खुलकर ध्यान में रखा था। वे असहमति वाले विचारों को सुनते थे और आलोचना पर भी ध्यान देते थे। इस तरह सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाते समय पहली बार उन्होंने सभी हितधारकों के साथ बातचीत की थी।

शिक्षाकर्मी के रूप में शिक्षक भर्ती की शुरूआत राजस्थान से हुई या और फिर सभी राज्यों में इस प्रणाली ने प्रवेश किया। इस तरह शिक्षकों की कमी को पूरा करने की उन्होंने कोशिश की थी। इसके अलावा, बोरडियाजी ने साक्षरता का प्रसार करने का बहुत प्रयास किया था। बोरडियाजी ने 1977-80 के दौरान राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के तहत अनुभवों का जो जत्था एकत्र किया था उसके आधार पर ही 1988 में सैम पित्रोदा के मार्गदर्शन के तहत राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरूआत हुई थी। उन्होंने 2000 तक पूर्ण साक्षरता तैयार करने के क्रम में स्वैच्छिक संगठनों, शैक्षिक संस्थानों और राज्य संसाधन केन्द्रों को बड़े पैमाने पर लगा दिया था।

यूनेस्को ने वर्ष 1990 को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता वर्ष के रूप में घोषित किया था। बोरडियाजी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सक्रिय थे। उन्होंने पूर्ण साक्षरता के बारे में भारत में जो शैली अपनाई थी उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ले गए। अप्रैल-1990 में थाईलैंड में सबके लिए शिक्षा के बारे जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था उसमें दक्षिण एशिया का नेतृत्व बोरडियाजी ने ही किया था। केरल के कोट्टायम और एर्नाकुलम जिलों राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के सफल प्रयोग के बाद में 1989 में समग्र साक्षरता अभियान बोरडियाजी के नेतृत्व में ही किया गया था। हालांकि, नौवीं और दसवीं योजना में साक्षरता सरकार के एजेंडे में नहीं थी। बाद में साक्षर भारत कार्यक्रम 2009 में शुरू किया गया था। सेवानिवृत्ति के बाद भी बोरडियाजी की रुचि अनौपचारिक और सतत शिक्षा में जारी थी। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने राजस्थान में किशोरों के लिए 'जन अभियान' कार्यक्रम शुरू किया और लड़के - लड़कियों के लिए

2000 में अपने 'दूसरा दशक' कार्यक्रम की शुरूआत की थी। सशक्तिकरण और न्याय के लिए एक वाहन के रूप में शिक्षा का प्रयोग करने की लगन इतनी तीव्र थी कि सरकारी मशीनरी उनके के साथ कदम नहीं मिला सकती थी। लेकिन उन्होंने व्यवस्था की सीमाओं को पार करने और व्यवस्था से बाहर मजबूत संबंध बनाए रखने के भरसक प्रयास किए थे। एक दृष्टा शिक्षक के रूप में, और साक्षरता के प्रस्तावक के रूप में और अनौपचारिक तथा सतत शिक्षा की विरासत अनिल बोरडिया हमेशा याद रहेंगे।

(इकोनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में 6-10-2012 को प्रकाशित लेख का अंश)

उन्नति

उन्नति

विकास शिक्षण संगठन

जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015

फोनः 079-26746145, 26733296 फैक्सः 079-26743752 email: sie@unnati.org वेबसाइटः www.unnati.org

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय

650, राधाकृष्णन पुरम, लहरिया रिसोर्ट के पास, चौपासनी-पाल बाई पास लिंक रोड, जोधपुर-342008, राजस्थान

फोनः 0291-3204618 email: jodhpur_unnati@unnati.org

विस्तृत जानकारी के लिए संपर्कः दीपा सोनपाल, ईमेलः sie@unnati.org, publication@unnati.org

अनुवादः आर. के. गुप्ता **ले-आउटः** रमेश पटेल - उन्नति

मुद्रकः बंसीधर ऑफसेट, अहमदाबाद, फोनः 9825353967

केवल सीमित वितरण के लिए